BFFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 03 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Bhishm Tyagi **…Applicant**

Versus

State of Uattar Pradesh & Ors. **…Respondents**

INDEX

S. NO.	PARTICULARS	PAGE NO.
1.	Report on behalf of U.P. Pollution Control Board in compliance with the order dated 09.05.2025	1-7
2.	**ANNEXURE 1** A true copy of the Report dated 23.07.2025 prepared by the Regional Office of UPPCB, Bijnor	8-46
3.	**ANNEXURE 2** A true copy of the Udyog Aadhaar certificate	47-48
4.	**ANNEXURE 3** A true copy of the letter dated 04.10.2024	49
5.	**ANNEXURE 4** A true copy of the letter dated 07.10.2024	50-51
6.	**ANNEXURE 5** A true copy of the inspection report	52-56
7.	**ANNEXURE 6** A true copy of the letter dated 04.10.2024 sent to the District Agriculture Officer, Bijnor	57-58
8.	**ANNEXURE 7** A true copy of the letter dated 04.10.2024 sent to the Chief Medical Officer, Bijnor	59
9.	**ANNEXURE 8** A true copy of the letter dated 04.04.2025	60

10.	**ANNEXURE 9** A true copy of the inspection report	61-62
11.	**ANNEXURE 10** A true copy of the letter dated 08.07.2025 issued by the Member Secretary, UPPCB to all Regional Officers of UPPCB	63
12.	**ANNEXURE 11** A copy of the letter dated 05.04.2025	64-65
13.	**ANNEXURE 12** A true copy of the letter dated 28.04.2025	66
14.	**ANNEXURE 13** A true copy of the letter dated 29.04.2025	67
15.	**ANNEXURE 14** A true copy of the Show Cause Notice dated 06.05.2025	68-70
16.	**ANNEXURE 15** A true copy of the letter dated 17.07.2025	71-76
17.	**ANNEXURE 16** A true copy of the compliance report of the closure order	77-78

THROUGH

DATE: 28.07.2025
PLACE: NEW DELHI

STHAVI ASTHANA
ADVOCATE FOR UPPCB,
C-9, SECTOR 50, NOIDA,
UTTAR PRADESH-201303
(M): 9711116034
(E): STHAVIASTHANA@GMAIL.COM

BEFORE THE HON'BLE NATIONAL GREEN TRIBUNAL, PRINCIPAL BENCH, NEW DELHI

ORIGINAL APPLICATION NO. 03 OF 2025

IN THE MATTER OF:

Bhishm Tyagi **....Applicant**

Versus

State of Uttar Pradesh & Ors. **....Respondents**

REPORT ON BEHALF OF U.P. POLLUTION CONTROL BOARD IN COMPLIANCE WITH THE ORDER DATED 09.05.2025

I, Dr. Umesh Chandra Shukla, aged about 53 years, S/o Pannalal Shukla presently posted as Regional Officer, Uttar Pradesh Pollution Control Board (hereinafter referred to as UPPCB), Bijnor, do hereby solemnly affirm and state on oath as under:

1. That in the official capacity mentioned above, I am acquainted with the facts and circumstances of the case and as such I am competent and authorized to swear this affidavit.

2. That this Hon'ble Tribunal vide order dated 09.05.2025 had directed as follows:

"13. In view of the above, the Chief Secretary, Government of U.P and Member Secretary, UPPCB are directed to issue appropriate instructions in this regard. Compliance report regarding issuance

of such instructions may be filed before this Tribunal by them through duly authorized officers within two months.

...15. The District Magistrate, Bijnor and the Regional Officer, UPPCB, Bijnor are directed to show cause as to why appropriate environmental compensation be not imposed on them for not taking appropriate action immediately on receipt of the complaint made by the applicant to them."

NOTARY
Gajendra Pal Singh
Advocate Notary
Bijnor (U.P.)
R.No.- 64457/2006
GOVERNMENT OF UTTAR PRADESH

3. That the Answering Respondent tenders an unconditional apology to this Hon'ble Tribunal. It is submitted that the Answering Respondent has the highest regard for this Hon'ble Tribunal and aims to render effective assistance to this Hon'ble Tribunal in every aspect. It is submitted that the Answering Respondent is committed to fulfilling its statutory duties to implement Environmental Laws and rules within the jurisdiction of the State of Uttar Pradesh. The Regional Officer of UPPCB, Bijnor has submitted a detailed report dated 23.07.2025 in compliance with the order dated 09.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal.

A true copy of the Report dated 23.07.2025 prepared by the Regional Office of UPPCB, Bijnor, is annexed hereto and marked as **Annexure No. 1.**

4. That the Respondent No. 5 has obtained Udyog Aadhar from the Ministry of Micro, Small and Medium Enterprises, Government of India with UAN No.- UP17A0000535.

A true copy of the Udyog Aadhaar certificate is annexed hereto and marked as **Annexure No.2.**

5. That the complaint letter dated 23.09.2024 was sent to the District Magistrate, Bijnor by Shri Bhishma Kumar Tyagi S\O Shri Bhudev Singh, R\O village Baseda Taga Tehsil-Naugawan Sadat, District-Amroha against the said industry M/s Dev Industries, Village-Jamaluddinpur, Tehsil-Chandpur, District-Bijnor. The said letter was received in the Regional Office of UPPCB, Bijnor on 01.10.2024 from the office of District Magistrate Bijnor. The said industry was inspected by the Regional Office of UPPCB, Bijnor on 01.10.2024. The then Regional Officer, Shri Vijay sent a notice to the industry through office letter dated04.10.2024, A true copy of the letter dated 04.10.2024 is annexed hereto and marked as **Annexure No 3.**

6. That the industry had sent a reply to the Regional Office of UPPCB, Bijnor vide letter dated 07.10.2024.

A true copy of the letter dated 07.10.2024 is annexed hereto and marked as **Annexure No 4**.

7. That pursuant to the complaint received against the industry through IGRS portal, the industry was inspected on 19.10.2024 by the authorized officers of the Regional Office of UPPCB, Bijnor. A true copy of the inspection report is annexed hereto and marked as **Annexure No 5**.

8. That at the time of inspection, the operation of the industry was found to be closed and the industry was found to have effluent treatment plant and air pollution control system in the form of wet scrubber and stack monitoring arrangement on the chimney.

9. That in pursuance to the complaint regarding the destruction of green crops around the industry and adverse effect on the yield of crops due to the operation of the industry mentioned in the complaint letter, a letter dated 04.10.2024 was sent to the District Agriculture Officer, Bijnor. A true copy of the letter dated 04.10.2024 sent to the District Agriculture Officer, Bijnor is annexed hereto and marked as **Annexure No. 6.**

10. That in response to the above, a report was sent through letter dated 15.10.2024 of the District Agriculture Officer, Bijnor, in which it is mentioned that the operation of the said unit does not have any adverse effect on the nearby crops.

11. That in pursuance to the complaint regarding the deteriorating health of the population living around the industry, due to the

operation of the industry mentioned in the complaint letter, a letter dated 04.10.2024 had been sent to the Chief Medical Officer Bijnor. A true copy of the letter dated 04.10.2024 sent to the Chief Medical Officer, Bijnor is annexed hereto and marked as **Annexure No 7**.

12. That since no response was received from the Health Department, a reminder letter dated 04.04.2025 was again sent to the Chief Medical Officer, Bijnor by the Regional Office of UPPCB, Bijnor. A true copy of the letter dated 04.04.2025 is annexed and marked hereto as **Annexure No 8**.

13. That a Joint inspection of the said industry was conducted on 21.01.2025 by the officials of UPPCB along with the Revenue Department, Tehsil Chandpur, District-Bijnor. The industry was not found to be operational at the time of inspection. A true copy of the inspection report is annexed hereto and marked as **Annexure No.9.**

14. That in compliance with the order dated 09.05.2025 passed by this Hon'ble Tribunal, instructions have been issued to all the Regional Officers of UPPCB by the Member Secretary, Uttar Pradesh Pollution Control Board, vide letter dated 08.07.2025.

A true copy of the letter dated 08.07.2025 issued by the Member Secretary, UPPCB to all Regional Officers of UPPCB is annexed hereto and marked as **Annexure No. 10**.

15. That in view of the deficiencies found in the inspection of the industry conducted by the Joint Committee on 07.03.2025, a notice was sent to the Respondent No. 5 for compliance vide letter dated 05.04.2025.

A copy of the letter dated 05.04.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 11**.

16. That since no response was received by UPPCB to the letter dated 05.04.2025, another letter dated 28.04.2025 was sent to the Respondent No. 5 industry. A true copy of the letter dated 28.04.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 12.**

17. That further, vide letter dated 29.04.2025 sent by the Regional Office of UPPCB, Bijnor, a report was sent to the UPPCB Headquarters with the recommendation to impose show cause notice/environmental compensation.

A true copy of the letter dated 29.04.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure No 13**.

18. That Show Cause Notice dated 06.05.2025 was issued to the Respondent No. 5 industry. A true copy of the Show Cause Notice dated 06.05.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 14**.

19. That in continuation of the show cause notice issued by the UPPCB Headquarters, a closure order has been issued by the UPPCB

against the Respondent No. 5. Environmental compensation of Rs. 50,23,296/- was also imposed against the Respondent No. 5 vide letter dated 17.07.2025.

A true copy of the letter dated 17.07.2025 is annexed hereto and marked as **Annexure No. 15.**

20. That to ensure compliance with the aforementioned closure order, a joint committee was constituted by the District Magistrate Bijnor on 18.07.2025 and on 22.07.2025, the joint committee sealed the rotary reactor (02 nos.) and DG sets (02 nos.) installed in the industry and ensured compliance with the closure order.

A true copy of the compliance report of the closure order is annexed hereto and marked as **Annexure No. 16.**

21. That the present report is submitted before this Hon'ble Tribunal for its kind perusal and necessary consideration.

DEPONENT

VERIFICATION

Verified at ...Bijnor.... on this the ..28..... day of July, 2025 that the contents of the above affidavit are true and correct to the best of my knowledge and belief and nothing material has been concealed therefrom.

Sworn before me on this...28...day of the ...7/...2025
by...Dr. Umesh Chandra Shukla.
who has been identified by...Sthavi Asthana.
who is personally known to me...Ad.
whose signature (S) is/are here it appended.
28/7/2025.
Gajendra Pal Singh
NOTARY,
BIJNOR-246701 (U.P.)

DEPONENT

दूरभाष व फैक्सः (01342) 260434
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड Annexure-1

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं० : 516/N-68/जनरल-2025 दिनांक : 23.07.2025

सेवा में,
मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ०प्र० प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
लखनऊ।

विषय–मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच30419/सी–7/ओ०ए० नं०–03/25, दिनांक–21.07.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त के सम्बन्ध में मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ०ए० सं०–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन में उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के सम्बन्ध में की गयी कार्यवाही की आख्या/विवरण मूलरूप में पत्र के साथ संलग्नकर आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नकः–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,
23/07/25
(डा० उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

प्रतिलिपिः–मुख्य विधि अधिकारी (प्रभारी), उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, लखनऊ को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी
o/c

मुख्यालय : टी०सी०–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

LH Page-JP

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 के अनुपालन में उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर की आख्या/विवरण।

1- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित ओ0ए0 सं0–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम स्टेट आफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 के मुख्य अंश निम्नवत है:–

……….*"8. It may be observed here that applicant had made complaint dated 23.09.2024 to the District Magistrate, Bijnor and had also made a complaint on Grievance Redressal Portal to Regional Officer, UPPCB on which show-cause notice dated 10.09.2020 was issued by Regional Officer, UPPCB. However, no action was taken by the District Magistrate, Bijnor and also by the Regional Officer, UPPCB, Bijnor on the above said complaints till the matter was taken up by this Tribunal."………*

…………*"15. The District Magistrate, Bijnor and the Regional Officer, UPPCB, Bijnor are directed to show cause as to why appropriate environmental compensation be not imposed on them for not taking appropriate action immediately on receipt of the complaint made by the applicant to them."………*

2- उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर को सूक्ष्म लघु और उद्यम मंत्रालय, भारत सरकार के द्वारा UAN No.-UP17A0000535 के द्वारा उद्योग आधार निर्गत किया गया था, जिसकी प्रति संलग्न है, **(संलग्नक–1)।**

3- उक्त उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला– बिजनौर के विरूद्ध श्री भीष्म कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा के द्वारा जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर को सम्बोधित शिकायती पत्र दिनांक–23.09.2024 प्रेषित किया गया था। उक्त पत्र कार्यालय जिलाधिकारी बिजनौर के सन्दर्भ सं0–688/ई0आर0के0 के माध्यम से इस कार्यालय में दिनांक–01.10.2024 को प्राप्त हुआ। तत्क्रम में उक्त उद्योग का निरीक्षण इस कार्यालय द्वारा दिनांक–01.10.2024 को किया गया था। तत्कालीन क्षेत्रीय अधिकारी श्री विजय द्वारा कार्यालय के पत्रांक–688/डी–33/बिजनौर–2024 दिनांक–04.10.2024 के द्वारा उद्योग को नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसकी प्रति संलग्न है,

(संलग्नक–2)। उद्योग द्वारा अपने पत्र दिनांक–07.10.2024 के द्वारा इस कार्यालय को प्रत्युत्तर प्रेषित किया गया, जिसकी प्रति संलग्न है, **(संलग्नक–3)**। उद्योग के विरूद्ध आई0जी0आर0एस0 के माध्यम से प्राप्त शिकायत के कम में इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक–19.10.2024 को उद्योग का निरीक्षण किया गया था। निरीक्षण आख्या संलग्न है, **(संलग्नक–4)**। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बन्द पाया गया था तथा उद्योग में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र एवं वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था के रूप में वेट स्कबर तथा चिमनी पर स्टैक मॉनिटरिंग की व्यवस्था स्थापित पायी गयी थी।

4- शिकायती पत्र में उल्लिखित उद्योग के संचालन से उद्योग के आस–पास की हरी–भरी फसलें नष्ट होने तथा फसलो की ऊपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–686 / डी–33 / बिजनौर–2024 दिनांक–04.10.2024 के द्वारा जिला कृषि अधिकारी, बिजनौर को पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी प्रति संलग्न है, **(संलग्नक–5)**। उक्त के कम में जिला कृषि अधिकारी बिजनौर के पत्रांक–1383 / 4–कृषि / ए0डी0ए0ओ0 / 2024–25 दिनांक –15.10.2024 के माध्यम से आख्या प्रेषित की गयी, जिसमें उल्लिखित किया गया है कि उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ रहा है।

5- शिकायती पत्र में उल्लिखित उद्योग के संचालन से उद्योग के आस–पास के रहने वाली आबादी के स्वास्थ्य खराब होने के सम्बन्ध में इस कार्यालय के पत्रांक–687 / डी–33 / बिजनौर–2024 दिनांक–04.10.2024 के द्वारा मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर से आख्या हेतु पत्र प्रेषित किया गया है, जिसकी प्रति संलग्न है, **(संलग्नक–6)**। अग्रेतर स्वास्थ्य विभाग से आख्या प्राप्त न होने के दृष्टिगत मुख्य चिकित्सा अधिकारी बिजनौर को पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–25 / डी–33 / बिजनौर–2025 दिनांक–04.04.2025 द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया, जिसकी प्रति संलग्न है, **(संलग्नक–7)**।

6- उक्त उद्योग का राजस्व विभाग, तहसील–चान्दपुर, जिला–बिजनौर के साथ इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा संयुक्त निरीक्षण दिनांक–21.01.2025 को किया गया था। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित नही पाया गया। निरीक्षण आख्या की प्रति संलग्न है, **(संलग्नक–8)**।

7- मा0 एन0जी0टी0 द्वारा पारित आदेश दिनांक–09.05.2025 के बिन्दु संख्या–13 के अनुपालन में सदस्य सचिव, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ द्वारा अपने पत्र संख्या–एच29903 / सी–7 / ओ0ए0 नं0–03 / 2025, दिनांक–08 जुलाई, 2025 के माध्यम से समस्त क्षेत्रीय अधिकारियों को निर्देश जारी कर दिये गये हैं। निर्गत निर्देश की छायाप्रति संलग्न है **(संलग्नक–9)**।

AEE

JE

8- अवगत कराना है कि संयुक्त समिति (केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, नई दिल्ली, उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर एवं जिला प्रशासन, बिजनौर) द्वारा दिनांक–07.03.2025 को किये गये सन्दर्भित उद्योग के निरीक्षण में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत इस कार्यालय के पत्रांक–27/एन–68/जनरल–2025 दिनांक–05.04.2025 के द्वारा उद्योग से अनुपालन कराये जाने हेतु पत्र/नोटिस प्रेषित किया गया था, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, **(संलग्नक–10)**। उक्त नोटिस का प्रत्युत्तर इस कार्यालय में प्राप्त न होने के दृष्टिगत उद्योग को पुनः इस कार्यालय के पत्रांक–101/एन–68/जनरल–2025 दिनांक–28.04.2025 के द्वारा अनुस्मारक पत्र प्रेषित किया गया था, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, **(संलग्नक–11)**।

9- अग्रेतर इस कार्यालय के पत्र संख्या–115/एन–68/जनरल–2025 दिनांक–29.04.2025 द्वारा कारण बताओ नोटिस/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या बोर्ड मुख्यालय प्रेषित की गयी थी, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, **(संलग्नक–12)**। तत्क्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्रांक–एच27891/सी–7/विविध–716/25 दिनांक–06.05.2025 द्वारा उद्योग को कारण बताओ नोटिस निर्गत किये गये है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, **(संलग्नक–13)**।

10- बोर्ड मुख्यालय द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के अनुक्रम में बोर्ड मुख्यालय के पत्र सं0–एच30344/सी–7/विविध–716/2025 दिनांक–17.07.2025 द्वारा उद्योग के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति रू0–50,23,296/– (पचास लाख तेईस हजार दो सौ छियान्वे मात्र) अधिरोपित करते हुये बन्दी आदेश निर्गत किया गया है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है, **(संलग्नक–14)**।

11- उपरोक्त निर्गत बन्दी आदेश के अनुपालन हेतु जिलाधिकारी बिजनौर द्वारा संयुक्त समिति का गठन दिनांक–18.07.2025 को किया गया तथा संयुक्त समिति द्वारा दिनांक–22.07.2025 को उद्योग में स्थापित रोटरी रियेक्टर (02 नग) एवं डी0जी0सेट्स (02 नग) को सील कर बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किया गया। बन्दी आदेश की अनुपालन आख्या की छायाप्रति संलग्न है, **(संलग्नक–15)**।

उपरोक्त तथ्य आपके अवलोकनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही प्रस्तुत है।

23/07/25 — (आशीष शर्मा) अवर अभियन्ता

23-07-25 — (माहिर हुसैन) सहायक पर्यावरण अभियन्ता

क्षेत्रीय अधिकारी

23/07/25

CEO-7

http://udyogaadhaar.gov.in/UA/PrintAcknowledgement.aspx

संलग्नक - 1

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

MSME

उद्योग आधार | Udyog Aadhaar

A

Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
Manufacturing	A	B	C
Services	D	E	F
UAN	UP17A0000535		

Udyog Aadhaar Acknowledgement

Udyog Aadhaar Number	UP17A0000535			
Name of Enterprise	M/S DEV INDUSTRIES			
Postal Address	VILL- JAMALUDDINEUR, POST- NAGLI PATHWARI, TEH- CHANDPUR, DISTT- BIJNOR			PIN
	District: BIJNOR	State: UTTAR PRADESH		
	Mobile No: 9759251478	Email: sachintyagi1987@gmail.com		
Date of commencement	19/09/2015			
Previous Registration details-if any	:			
Acknowledgement	Date of Filing	09/08/2016	Date of Printing	09/08/2016

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required.
Printed from udyogaadhaar.gov.in

MyMsme Mobile App (Beta Version) is available now for download. https://play.google.com/store/apps/details?id=msme.mymsme

PRINT

For Dev Industries
Pr...

For Dev Industries
सचिन त्यागी
(Sachin K. Tyagi)
Prop.

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार | Udyog Aadhaar

A

Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
Manufacturing	A	B	C
Services	D	E	F
UAN	UP17A0000535		

Udyog Aadhaar Memorandum

1	Aadhaar Number	269521729484
2	Name of Entrepreneur	SACHIN KUMAR
3	Social Category	GENERAL
4	Name of Enterprise	M/S DEV INDUSTRIES
5	Type of Organization	PROPRIETARY
6	Postal Address	VILL- JAMALUDDINEUR, POST- NAGLI PATHWARI, TEH- CHANDPUR, DISTT- BIJNOR District: BIJNOR State: UTTAR PRADESH PIN: 246727 Mobile No: 9759251478 Email: sachintyagi1987@gmail.com
7	Date of commencement	19/09/2015
8	Previous Registration details-if any	::
9	Bank Details	IFS Code: ORBC0101547 Bank Account: 15471131001471
10	Major Activity	MANUFACTURING

11

SN	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit Code	Activity Type
1	Other manufacturing	Other manufacturing n.e.c.	Manufacture of other articles n.e.c.	Manufacturing

12	Persons employed	8
13	Investment (Plant & Machinery / Equipment's)	25(Rs. in Lakhs)
14	District Industry Centre	BIJNOR

Declaration

I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information, that may be required to be verified, shall be provided immediately before the concerned authority.

MyMsme Mobile App (Beta Version) is available now for download, https://play.google.com/store/apps/details?id=msme.mymsme

PRINT

सचिन त्यागी

For Dev Industries

Prop

संलग्नक-2

दूरभाष व फैक्स: (01342) 260434
ई-मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-246701

दिनांक : 04-10-2024

सन्दर्भ सं0 : 688/D-33/बिजनौर-2024

सेवा में,

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चाँदपुर,
जिला-बिजनौर।

विषय-जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनिमय-1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम-1978 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम-1981 के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में आपकी इकाई के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के कम में उद्योग का निरीक्षण दिनांक-01.10.2024 को इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आपकी इकाई प्रतिनिधि श्री सचिन त्यागी की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई संचालित नही पायी गयी।

उक्त इकाई में कच्चे माल के रूप में रबर स्क्रेप/वेस्ट रबर/वेस्ट टायर-06 मीट्रिक टन/दिन का प्रयोग कर फर्नेस आयल 2.5 टन/दिन, कार्बन ब्लैक 2.5 टन/दिन तथा स्टील वायर 200 किग्रा/दिन का उत्पादन किया जाता है, निरीक्षण के समय उद्योग की चिमनी पर स्टैक मॉनिटरिंग एवं प्लेटफार्म की व्यवस्था तथा उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सी0टी0ओ0 की शर्त सं0-18 एवं उद्योग द्वारा प्रेषित अपने शपथ पत्र दिनांक-25.07.2023 के कम में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र की स्थापना, जारी सी0टी0ओ0 की शर्तों का अनुपालन नही किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब/तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपकी इकाई के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय,

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

2001342401348 9

सेवा में,

श्रीमान जिलाधिकारी महोदय
जिला बिजनौर (उ0प्र0)

प्रार्थना पत्र बाबत अवैध फैक्ट्री जलाने टायर बन्द कराने

श्रीमान जी,

निवेदन इस प्रकार है कि एक किता आराजी काश्त खसरा सं0 49 वाके ग्राम जमानउद्दीन पुर परगना बूढ़पुर तहसील चाँदपुर जिला बिज[illegible] के बीचो बीच तहलाते खेतो के बीच है। मगर उक्त रक्बे क सहखाते [illegible] त्यागी सचिन कुमार त्यागी पुत्रगण नुन्नीदेव सिंह निवासी ग्राम बसेड़ा [illegible] तहसील नौगावां सादात जिला अमरोहा ने उक्त कृषि आराजी का एक जुज [illegible] कृषि कार्य खारीद कर उसमें टायर टयूब जलाकर उससे तारकोल व [illegible] प्रोडक्ट निर्मित करने की अवैध फैक्ट्री का निर्माण कर कतई गैर कानूनी तौर [illegible] अपनी हेकड़ी व बदमाशी के बल पर उसका संचालन कर रहे है। उक्त फैक्ट्री [illegible] निमार्ण व संचालन हेतु न तो अर्न्तगत धारा 80 लैंड रेवेन्यु कोड 2006 के [illegible] कृषि आराजी को वाणिज्य में परिवर्तित कराया है और न ही श्रीमान जी [illegible] कार्यालय से प्रदूषण के मानक अनुसार अनुज्ञप्ति प्राप्त की है। उक्त अवैध [illegible] के संचालन से आस पास की हरी भरी फसले नष्ट हो रही हैं और प[illegible] उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है। इसके अतिरिक्त फैक्ट्री के आस पास [illegible] रहने वाली आबादी के स्वास्थय खराब हो रहा है और क्षेत्र में नयी नयी तरह [illegible] रोग पैदा होने से आम जनता बुरी तरह दिक व परेशान है। लेकिन उक्त दबंग[illegible] की दबंगई से डरकर कोई व्यक्ति विरोध नही कर पा रहा है ऐसी सूरत में उक्त अवैध फैक्ट्री का संचालन तत्काल प्रभाव से रोका जाना प्रदूषण रोकने के लिए निहायत ही जरूरी है।

अतः श्रीमान जी से विनम्र प्रार्थना है कि उक्त कारणों के आधार पर श्रीमान प्रदूषण नियंत्रण अधिकारी उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड बिजनौर को निर्देशित किया जावे कि वे उक्त लोगो के खिलाफ [illegible] कार्यवाही कर उक्त अवैध फैक्ट्री को उखाड़कर पूर्व कृषि की स्थति बहाल [illegible] जावे।

श्रीमान जी की अति कृपा होगी।

दिनांक:-23.09.2024

प्रार्थी
भीषम कुमार त्यागी पुत्र भूदेव सिंह
दत्तक पुत्र कमलधीर सिंह
नि0ग्राम बसेड़ा तगा तहसील
नौगावां सादात जिला अमरोहा
मोबाईल नं0 9012296058

सन्दर्भ संख्या : 40013724013683 , दिनांक - 20 Sep 2024 तक की स्थिति

आवेदनकर्ता का विवरण :

शिकायत संख्या:-
40013724013683

आवेदक का नाम-
Bhisam Tyagi

विषय-
Sakth vedhanik karyavahi hetu

विभाग -

शिकायत श्रेणी -

निस्तारण हेतु निर्धारित समयावधि -
15-09-2024

शिकायत की स्थिति -

स्तर -
जनपद स्तर

पद -
जिलाधिकारी

प्राप्त रिमाइंडर-

प्राप्त फीडबैक -
दिनांक18-09-2024 को फीडबैक:-आवेदक कार्यवाही से संतुष्ट नहीं है समस्या पर अभी उचित कार्यवाही नहीं हुई है , रिपोर्ट में आधिक जानकारी नहीं दी गई है कृपया पुनः कार्यवाही की जाये.

फीडबैक की स्थिति -

संलग्नक देखें -
Click here

नोट- अंतिम कॉलम में वर्णित सन्दर्भ की स्थिति कॉलम-5 में अंकित अधिकारी के स्तर पर हुयी कार्यवाही दर्शाता है।

अधीनस्थ द्वारा प्राप्त आख्या :

क्र.स.	सन्दर्भ का प्रकार	आदेश देने वाले अधिकारी	अग्रसारित दिनांक	आदेश	आख्या देने वाले अधिकारी	आख्या दिनांक	आख्या	स्थिति	आपत्ति देखे	लिंक
1	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	16-08-2024		जिलाधिकारी-अमरोहा,	12-09-2024	आख्या सादर प्रेषित है विवरण हेतु क्लिक करें...	निस्तारित		
	अंतरित	ऑनलाइन सन्दर्भ	18-09-2024	शिकायतकर्ता द्वारा असंतुष्ट फीडबैक प्राप्त होने पर उच्च अधिकारी को पुनः परीक्षण हेतु प्रेषित.	मंडलायुक्तमण्डल-मुरादाबाद,	19-09-2024	आख्या के आधार पर शिकायत निक्षेपित योग्य है विवरण हेतु क्लिक करें...	स्पेशल क्लोज निस्तारित		

क्षेत्रीय कार्यालय
उ0 प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड,
बिजनौर

पत्रांक- 604/J-8/जनरल-2024 दिनांक- 10-

सेवा में,

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज
ग्राम-बसेडा तगां, ब्लॉक-अमरोहा,
थाना व तहसील-नौगावां सादात,
जिला-अमरोहा।

विषय-समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के सन्दर्भ संख्या-40013724013683 के माध्यम से प्राप्त शिकायत के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक समन्वित शिकायत निवारण प्रणाली के सन्दर्भ संख्या-40013724013683 के माध्यम से श्री भीष्म त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, ग्राम-बसेडा तगां, ब्लॉक-अमरोहा, थाना व तहसील-नौगावां सादात, अमरोहा द्वारा की गयी शिकायत का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें आपकी इकाई से निकलने वाले धुएं एवं राख से गांव के लोगों व पशु एवं फसल को हानि होने एवं बीमारी फैलने की शिकायत की गयी है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण/कृत कार्यवाही का विवरण इस कार्यालय को अविलम्ब प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा उक्त के अभाव में उद्योग के विरूद्ध की गयी कार्यवाही का समस्त उत्तरदायित्व उद्योग का स्वयं का होगा।

भवदीय,

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपि-
1-जिलाधिकारी महोदय, अमरोहा को सादर सूचनार्थ प्रेषित।
2-श्री भीष्म त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, ग्राम-बसेडा तगां, ब्लॉक-अमरोहा, थाना व तहसील-नौगावां सादात, अमरोहा को सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक -3

07-10-24 D-33/पत्रावली

DEV INDUSTRIES

Rubber Processed Oil, Carbon, Steel Wire etc.

07-10-24 D-33/पत्रावली

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी महोदय,

उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , बिजनौर।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि आपके पत्र सं0-688/D-33/बिजनौर-2024 दिनांक 04.10.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि हमारी इकाई में स्थापित चिमनी पर प्लेट फॉर्म जर्झर अवस्था होने के कारण टूटकर गिर गया था मेरे द्वारा उक्त चिमनी पर नई प्लेट फॉर्म की स्थापना कर ली गई हैं फोटो संलग्न हैं तथा इकाई द्वारा इकाई से निकलने वाले जल कें शोधन हेतु 5 के.एल. प्रतिदिन क्षमता वाला ई0टी0पी0 की स्थापना का कार्य वर्तमान में किया जा रहा हैं जो लगभग 5-6 दिन में पूर्ण हो जायेगा। मेरे द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा सहमति शर्तों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

अत: आपसे अनुरोध हैं कि इकाई के जारी नोटिस को समाप्त करने की कृपा करे।

आपकी अति कृपा होगी।

दिनांक — 07.10.2024

प्रार्थी

देव इण्डस्ट्री जमालुद्दीनपुर बिजनौर।

Auth.Sign.

AEE/SA

FACTORY : JAMALUDDINPUR, POST. NAGLI PATHWARI, TEHSIL CHANDPUR, DISTT. BIJNOR (U.P.)
OFFICE : TYAGI MARKET, ABDULLAPUR, DAHANA SAIDPUR BATTA P.O. NAGLI PATHWARI DISTT. BIJNOR
Mobile : 09758684936 • E-mail : sachinstyagi1987@gmail.com

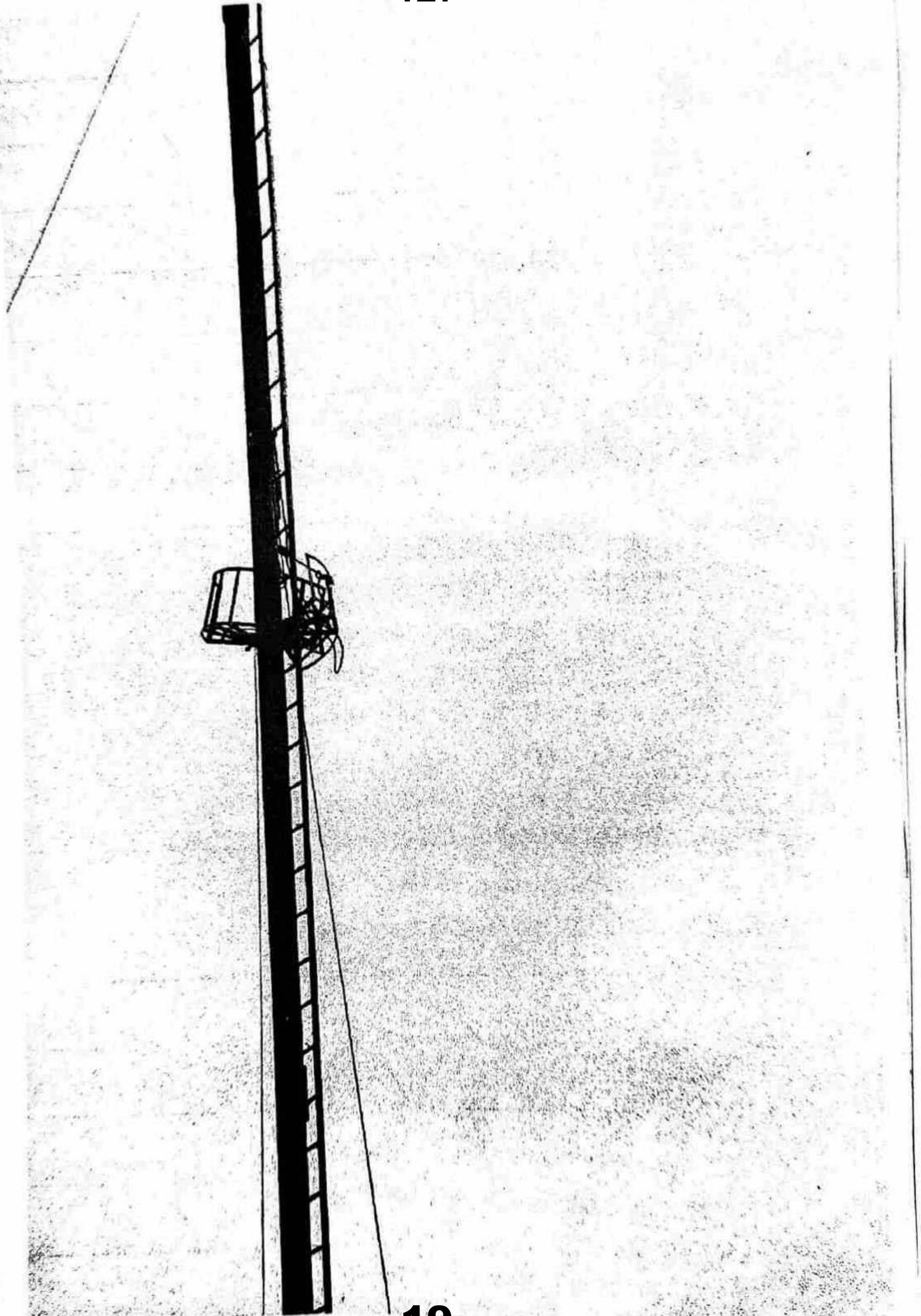

संलग्नक-4

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा के पत्रांक–726/आई0जी0आर0एस0सहा0/2024 दिनांक–18.10.2024 के साथ संलग्न आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0–92413700020899 एवं पत्रांक–727/आई0जी0आर0एस0सहा0/2024 दिनांक–18.10.2024 के साथ संलग्न आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0–92413700021267 के माध्यम से मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त शिकायती इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक–19.10.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री सचिन त्यागी, पार्टनर की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में रबर स्क्रेप/वेस्ट रबर/वेस्ट टायर–06 मीट्रिक टन/दिन का प्रयोग कर फर्नेस आयल 2.5 टन/दिन, कार्बन ब्लैक 2.5 टन/दिन तथा स्टील वायर 200 किग्रा/दिन का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित नही पाया गया।
2. उद्योग द्वारा जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रकिया में शीतलन हेतु प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। उद्योग में वांशिग प्रकिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 05 किली0/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयन्त्र स्थापित है, जिसकी इकाईयॉ कमशः कलेक्शन टैंक, ऑयल ग्रीस ट्रैप, कोगुलेशन एवं फ्लोकुलेशन टैंक, ट्यूब सेटलर, फिल्टर फीड टैंक, एस0सी0एफ0, एम0जी0एफ0, स्लज ड्राईग बेड्स हैं।
3. उद्योग में स्थापित दो फर्नेस से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की भूतल से ऊँचाई 21 मीटर है। उक्त फर्नेस पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में वेट स्कबर स्थापित है। फर्नेस हेतु ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उद्योग द्वारा फर्नेस से सम्बद्ध चिमनी के अनुश्रवण (स्टेक मॉनिटरिंग) का कार्य मैसर्स इन्वायरो टेक सर्विसेस, गाजियाबाद से कराकर अनुश्रवण आख्या दिनांक–15.10.2023 प्रेषित की गयी है। अनुश्रवण आख्या संलग्न है।
4. उद्योग में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 62.5 के0वी0ए0 एवं 15 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0सेट्स स्थापित है। निरीक्षण के समय डी0जी0सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई निकटतम छ्त तल से बोर्ड मानको के अनुरूप पायी गयी। डी0जी0सेट्स हेतु ईंधन के रूप में डीजल आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है।
5. उक्त इकाई को इस कार्यालय द्वारा निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन सन्दर्भ सं0–188470/यूपीपीसीबी/बिजनौर(यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/बोथ/बिजनौर/2023 दिनांक –25.07.23 द्वारा सशर्त सी0टी0ओ0 निर्गत की गयी थी, जिसकी वैधता अवधि दिनांक–31.07.2028 तक है।

कमशः.....2......

(2)

6. निरीक्षण के समय उद्योग की चिमनी पर स्टैक मॉनिटरिंग हेतु प्लेटफार्म की व्यवस्था पायी गयी।

7. जिला कृषि अधिकारी के पत्रांक–1383 / 4–कृषि / ए0डी0ए0ओ0 / 2024–25 / दिनांक–15.10.2024 के द्वारा उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

21/10/24 21/10/24

(नारायण दत्त पाठक)
जे0आर0एफ0

(एस0के0त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

सहा0पर्या0अभियन्ता / क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

21-10-24

21/10/24

ENVIRO-TECH SERVICES

ISO 45001

(A GOVERNMENT APPROVED LAB)

Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001

TEST REPORT

DATE OF REPORT : 15-10-2024

TEST REPORT NO : ETS/15-10/138/10/2024

STACK EMISSION MONITORING AND ANALYSIS REPORT

Name And Address Of Customer	: M/s DEV INDUSTRIES GRAM - JAMALUDEENPUR, POST - NANGLI PATHRARL, TEHSIL - CHANDPUR, BIJNORE, U.P., INDIA -
Date Of Sampling	: 10-10-2024
Analysis Start Date	: 11-10-2024
Analysis End Date	: 15-10-2024
Duration Of Sampling	: 30 MIN
Sample ID No	: 15-10/138/10/24
Sampling Done By	: ETS LAB
Sampling Method	: ETS/STP/STACK-01
Stack Attached To	: TWO HEATING FURNACES ATTACHED TO A SINGLE STACK
Capacity	: --
Type Of Fuel Used	: WOOD SCRAP
Quantity Of Fuel Used	: 500 KG/DAY
Stack Height Above The Ground	: 30 Mtr
Stack Dia At The Top	: 300 mm
Material Of Construction	: MS
Normal Operation Schedule	: 24 HRS
Attached APCS	: WET SCRUBBER SEPARETLY IN BOTH
Equipments Used	: ETS/INST-273 (CES)...
Ambient Temperature	: 35 °C
Velocity Of Flue Gases	: 7.4 Mtr/Sec

Flue Gas Temperature : 69 °C

Quantity Of Emission Discharged : 1802.12 m^3/hr

S.No.	Parameter	Unit	Result	Specification/ Limit (As Per CPCB)	Test Method
1	Particulate Matters (PM)	mg/NM3	123.0	Not Specified	IS:11255 (P-1)-2019
2	Sulphur Dioxide (SO_2)	mg/NM3	19.3	600	IS 11255 (P-2)-2019
3	Oxides of Nitrogen (NO_x)	mg/Nm³	24.5	600	IS 11255 (P-7)-2022
4	Carbon Monoxide (CO)	% by Vol	0.14	1% By Volume	IS 13270-2019

Remarks: ONLY ONE HEATING FURNACE OF LEFT SIDE WAS RUNNING AT THE TIME OF MONITORING.

**** End Of Report ****

FOR ENVIRO-TECH SERVICES

Page 1 Of 1

Anil Kumar Choudhary (Technical Manager)

AUTHORIZED SIGNATORY

CHECKED BY

Format No. ETS/LAB/... Issue No. 01 ... 01/04/2019 Rev No 04 ... 01/04/2019

Note:-

1. Test reports without ETS LAB ... are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.

प्रेषक,
जिला कृषि अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा मे,
क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

पत्रांक 1383 / 4–कृषि / ए0डी0ए0ओ0 / 2024–25 / दिनांक 15.10.2024

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 686 / D-33 / बिजनौर–2024 / दिनांक 04.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम बसेड़ा तगा, तहसील नोगावां सादात, जिला अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इन्डस्ट्रीज, ग्राम जमालुद्दीन, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव के संबंध में अद्यतन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1340 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड नूरपुर द्वारा उक्त इकाई के आस–पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच कराई गई। सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड नूरपुर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 14.10.2024 को उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ रहा है। जांच आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिला कृषि अधिकारी,
बिजनौर।

पृष्ठांकन सख्या /उक्त दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप कृषि निदेशक, बिजनौर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
3. जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर की सेवा मे अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला कृषि अधिकारी
बिजनौर।

SL-2

सेवा में   दि० 15/10/2024

जिला कृषि अधिकारी
बिजनौर

महोदय

अवगत कराना है कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज ग्राम जमालुद्दीन तहसील-चाँदपुर के विरुद्ध प्रेषित शिकायत की जाँच आख्या में पाया कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज के चारों तरफ कि फसलों पर प्रदूषण नही पाया गया तथा ना ही फसलो पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है

रिपोर्ट आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

भवदीय
[signature]
ग्रा०वि०अ०
नूरपुर

उपस्थित कृषकों के हस्ताक्षर

उदयवीर सिंह
कपिल कुमार
राहुल कुमार
[signature]
कानूचावला
बिन्नू त्यागी
Deepak Tyagi
[signature]
मुन्नू जैदी
विनय कुमार त्यागी

दूरभाष व फैक्स : (01342) 263457 ई–मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 686/D-33/बिजनौर-2024 दिनांक : 04-10-2024

सेवा में,

जिला कृषि अधिकारी
बिजनौर।

विषय–श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत, जो कि कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर के सन्दर्भ संख्या–688/ई0आर0के0 के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुयी है (छायाप्रति संलग्न), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उक्त इकाई के आस–पास की हरी भरी फसले नष्ट हो रही है और फसलों की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाग के संबंध में अद्यतन आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रकरण में आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1–जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर को उनके सन्दर्भ संख्या–688/ई0आर0के0 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक–एच17987/सी–7/शिकायती बिजनौर/24 दिनांक–30.09.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

6/c

मुख्यालय : टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

-10-24 शैलेन्द्र कुमार शर्मा

प्रेषक,

जिला कृषि अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

पत्रांक1383/4-कृषि/ए0डी0ए0ओ0/2024-25/दिनांक 15.10.2024

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 686/D-33/बिजनौर-2024/दिनांक 04.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम बसेड़ा तगा, तहसील नोगावां सादात, जिला अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इन्डस्ट्रीज, ग्राम जमालुद्दीन, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस-पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव के संबंध में अद्यतन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1340 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड नूरपुर द्वारा उक्त इकाई के आस-पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच कराई गई। सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड नूरपुर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 14.10.2024 को उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस-पास की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ रहा है। जांच आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न-उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिला कृषि अधिकारी,
बिजनौर।

पृष्ठांकन सख्या /उक्त दिनांक

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप कृषि निदेशक, बिजनौर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
3. जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर की सेवा मे अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला कृषि अधिकारी
बिजनौर।

दूरभाष व फैक्सः (01342) 280434
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.in

संलग्नक–6

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : ES7/O-33/बिजनौर-2024 दिनांक : 04-10-2024

सेवा में,

मुख्य चिकित्साधिकारी
बिजनौर।

विषय–श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत, जो कि कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर के सन्दर्भ संख्या–688/ई0आर0के0 के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुयी है (छायाप्रति संलग्न), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित है कि उक्त इकाई के संचालन से आस–पास की आबादी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त इकाई के आस–पास के निवासियों के स्वास्थ्य के संबंध में अद्यतन आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रकरण में आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1–जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर को उनके सन्दर्भ संख्या–688/ई0आर0के0 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक–एच17987/सी–7/शिकायती बिजनौर/24 दिनांक–30.09.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक-7

दूरभाष व फैक्सः (01342) 260434
ई-मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-246701

सन्दर्भ सं० : 25/D-33/बिजनौर-2025 दिनांक : 04.04.2025

अनुस्मारक / महत्वपूर्ण मा० एन०जी०टी० प्रकरण

सेवा में,
मुख्य चिकित्साधिकारी
बिजनौर।

विषय-श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम-बसेड़ा तगा, तहसील-नौगावां सादात, जिला-अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीन, तहसील-चान्दपुर, जिला-बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक-687/डी-33/बिजनौर-2024 दिनांक-04.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के संचालन से आस-पास की आबादी का स्वास्थ्य खराब होने के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसकी आख्या अभी तक इस कार्यालय को अप्राप्त है। उक्त प्रकरण मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ०ए० संख्या-03/2025 भीष्म त्यागी बनाम उ० प्र० राज्य सरकार एवं अन्य में विचाराधीन है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त इकाई के संचालन से आस-पास के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रकरण में आख्या संकलित कर मा० एन०जी०टी० में ससमय दाखिल की जा सकें।

संलग्नकः-यथोपरि।

भवदीय,
04/04/25
(डा० उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक -8

इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा प्रेषित शिकायत के कम में संयुक्त निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर एवं राजस्व विभाग, तहसील–चांदपुर, जिला–बिजनौर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक–21.01.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि श्रीपाल, प्लांट इंचार्ज उपस्थित थें। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में रबर स्केप/वेस्ट रबर/वेस्ट टायर–06 मीट्रिक टन/दिन का प्रयोग कर फर्नेस. आयल 2.5 टन/दिन, कार्बन ब्लैक 2.5 टन/दिन तथा स्टील वायर 200 किग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता है। **निरीक्षण के समय इकाई संचालित नहीं पायी गयी एवं उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई विगत 01 माह से स्वयं के कारणों से बन्द है।**
2. इकाई द्वारा जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रकिया में शीतलन हेतु प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। उद्योग में वांशिग प्रकिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 05 किली0/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयन्त्र स्थापित है, जिसकी इकाईयॉ कमशः कलेक्शन टैंक, ऑयल ग्रीस ट्रैप, कोगुलेशन एवं फ्लोकुलेशन टैंक, ट्यूब सेटलर, फिल्टर फीड टैंक, एस0सी0एफ0, एम0जी0एफ0, स्लज ड्राईंग बेड्स हैं।
3. इकाई में स्थापित दो फर्नेस से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की भूतल से ऊँचाई 21 मीटर है। उक्त फर्नेस पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में वेट स्कबर स्थापित है। फर्नेस में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।
4. इकाई में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 62.5 के0वी0ए0 एवं 15 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0सेट्स स्थापित है। निरीक्षण के समय डी0जी0सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानको के अनुरूप पायी गयी।

कमशः.....2......

(2)

5. उक्त इकाई को इस कार्यालय द्वारा निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन सन्दर्भ सं0–188470 / यूपीपीसीबी / बिजनौर(यूपीपीसीबीआरओ) / सीटीओ / बोथ / बिजनौर / 2023 दिनांक–25.07.23 द्वारा सशर्त सी0टी0ओ0 निर्गत की गयी थी, जिसकी वैधता अवधि दिनांक–31.07.2028 तक है।

6. निरीक्षण के समय उद्योग की चिमनी पर स्टैक मॉनिटरिंग हेतु प्लेटफार्म की व्यवस्था पायी गयी।

7. जिला कृषि अधिकारी, बिजनौर के पत्रांक–1383 / 4–कृषि / ए0डी0ए0ओ0 / 2024–25 / दिनांक–15.10.2024 के द्वारा उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आसं–पास की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अंशु यादव)
जे0आर0एफ0
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

(आशीष शर्मा)
अवर अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

(सार्थक चावला)
नायब तहसीलदार,
तहसील–चांदपुर
जिला–बिजनौर।

संलग्नक-1

ई-मेल
01-07-2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE

संदर्भ सं0-H29903 /सी-1/ O.A.No-03/2025 दिनांक-08/07/25 पंजीकृत

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषयः-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-03/2025 **Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त आदेश दिनांक 09.05.2025 मे माननीय अधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

".....12. We are of the considered view that on making of complaint regarding environmental violations by any aggrieved person, action in accordance with law must be taken by the concerned District Magistrate and also by the concerned Regional Officer of the State Pollution Control Board/U.T. Pollution Control Committee and the complaint ought to be disposed of by verifying the factual position and passing reasoned order in a time bound manner and it will be in the interest of transparency and accountability that copy of order so passed is also supplied to the applicant so that the applicant may, if aggrieved from such order, avail appropriate remedy in accordance with law.

13. In view of the above, the Chief Secretary, Government of U.P and Member Secretary, UPPCB are directed to issue appropriate instructions in this regard. Compliance report regarding issuance of such instructions may be filed before this Tribunal by them through duly authorized officers within two months. ...."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न माध्यमों से यथा आई0जी0आर0एस0, ई-मेल आदि से प्राप्त शिकायती प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। प्राप्त शिकायतों एवं समयबद्ध निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में इनवेन्ट्री तैयार की जाए तथा तद्नुसार रिकार्ड मेन्टेन किया जाए, अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध की गयी किसी भी कार्यवाही के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे।

संलग्नकः-उपरोक्तानुसार। (ई-मेल)

भवदीय,
Digitally signed by
SANJEEV KUMAR SINGH
Date: 07.07.2025
16:06:55
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

AEE
m.a.pl.

11/07/25

प्रतिलिपिः-मुख्य पर्यावरण अधिकारी/प्रभारी वृत्त- 1,2,3,4,5,6,7 को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित क्षेत्रीय कार्यालयों को इस सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करते हुए समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 · Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in · Web Site: www.uppcb.in

संलग्नक –10

दूरभाष व फैक्सः (01342) 280434
ई–मेल – robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं० : 27/N-68/जनरल-2025 दिनांक : 05-04-2025

सेवा में,

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम–जमालुद्दीनपुर, पोस्ट–नगली पथवारी,
तहसील–चाँदपुर,
जिला–बिजनौर–246727

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त समिति द्वारा आपकी इकाई का दिनांक–07.03.2025 को निरीक्षण किया गया था, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों के अधार पर आपकी इकाई को निम्न सुझाव/टिप्पणीयाँ की गयी है, जो कि निम्नवत् है :–

A. To upgrade its Unit to Advanced Batch Automated Technology Process (ABAP) as per CPCB SOP dated 16.01.2024 for "Recycling of Waste scrap for the recovery of Tyre Pyrolysis Oil, Pyro Gas and Char in Tyre Pyrolysis Oil (TPO) Units" and provide below mentioned features:

i. Automatic control systems such as Programmed Logic Control (PLC) for measurement and control of temperature and pressure along with safety inter-locks in case of increase of temperature or pressure to cut off heating of the reactor.

ii. Sensors along with alarm system at all the transfer points throughout the plant to detect any leakage of flammable vapours from the system.

iii. Bypass arrangement for pyro gas from reactor door to primary condenser.

vi. Fire detectors, sprinklers and fire hydrant with necessary pumping system and water storage should be provided in the process area, product and raw material storage area,

v. Provision for suction hoods over the gate of reactor and char bagging area,

vi. Water sprinkler system, and

vii. Mechanized arrangement for removal of char and steel scrap and arrangement of Nitrogen gas (N) purging to address environmental and safety concerns.

B. To increase the height of its stack upto 30 meters as per Consolidated Consent & Authorisation.

C. To develop green belt across its periphery. The green belt may not be less than 5% of the total area of the plot in line with CPCB SOP.

D. To provide concrete flooring for storage of Raw Material & End Products as required under CPCB SOP.

E. To register under CPCB online Waste Tyre EPR Portal as per the provisions stipulated under schedule-IX of the Hazardous & Other Waste (M&TM) Amendment Rules, 2022 for Utilization & Management of Waste Tyre.

F. To remove the spillage of carbon black immediately from the agricultural land of complainant.

G. To obtain permission for Change in Land Use from concerned department.

क्रमशः......2...

(2)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार संयुक्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव/टिप्पणी का बिन्दुवार अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही इकाई का संचालन किया जाये तथा उक्त की अनुपालन आख्या इस कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामियों का स्वयं का होगा।

भवदीय

05/06/25

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
ac क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

2–Meetu Puri, Sc-C, WM-III Division, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, परिवेशीय भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली।

क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक-11

दूरभाष व फैक्स : (01342) 260434
ई-मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर-चक्कर रोड, बिजनौर-246701

सं0 : 101/N-68/जनरल-2025 दिनांक : 29-04-2025

अनुस्मारक

महत्वपूर्ण/पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम-जमालुद्दीनपुर, पोस्ट-नगली पथवारी,
तहसील-चाँदपुर,
जिला-बिजनौर-246727

विषय-मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या-03/2025 भीष्म त्यागी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या-27/एन-68/जनरल-2025, दिनांक-05.04.2025 (पूर्व प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त संदर्भित प्रकरण के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों के आधार पर आपकी इकाई के संबंध में संयुक्त समिति की आख्या में दिये गये सुझाव/टिप्पणी के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आप द्वारा अभी तक उक्त की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है, जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लघंन है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव/टिप्पणी का बिन्दुवार अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या इस कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामियों का स्वयं का होगा।

संलग्नक-यथोपरि।

भवदीय

28/04/25

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः-निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1-मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त-7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

2-Meetu Puri, Sc-C, WM-III Division, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, परिवेशीय भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली।

क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्यालय : टी0सी0-12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

संलग्नक -12

दूरभाष व फैक्स: (01342) 260434
ई-मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 115/N-68/जनरल-2025

दिनांक : 29-04-2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No.-03/2025 **Bhisham Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.** में पारित आदेश दिनांक–**20.03.2025 के संबंध में।**

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–एच27136/सी–7/विविध–716/25 दिनांक–17.04.2025 के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. No.-03/2025 Bhisham Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर को संयुक्त समिति द्वारा किये गये पूर्व निरीक्षण दिनांक–07.03.2025 में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2024 में तैयार की गयी **"Guideline for Environment Compensation (EC) under Waste Tyre EPR Regime"** के अन्तर्गत नियमानुसार कारण बताओ नोटिस/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

संलग्नक - 13

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या H2789/ C-7 /विविध-716/25 दिनांक 6-5-25

सेवा में,

पंजीकृत

Annexure-R04/1.

मै0 देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर,
जिला–बिजनौर।

विषय–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 एवं 20.03.2025 के कम में इकाई पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के कम में इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर का संयुक्त निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तहसीलदार, तहसील–चाँदपुर, जिला बिजनौर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 17.03.2025 को किया गया।

यह कि उक्त संयुक्त निरीक्षण में समिति द्वारा पाया गया कि आपके उद्योग द्वारा टॉयर पेरोलिसिस हेतु Hazardous and Other Wastes (Management and Trasnboundary Movement) Amendment Rules, 2022 के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया है आपकी इकाई में स्थापित रियेक्टर की चिमनी मात्र 21 मीटर पर पायी गयी जबकि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु में चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर तक किया जाना निर्देशित है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0–CP-22/31/2024-WM-III-HO-CPCB-HO दिनांक 03.09.2024 द्वारा वेस्ट टायर की रिसाइकिलंग किये जाने वाले इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गाइडलाइन जारी की गयी है। उक्त गाइडलाइन के अन्तर्गत EC Regime 2 जिसके अन्तर्गत ई0पी0आर0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नानुसार किया जाना प्राविधानित है :–

iii. For Recyclers and Retreaders the registration fee on the EPR Portal is Rs. 15000.0 and Rs. 10,000.0 respectively. So taking Rs. 12,500 as an average, the EC to Recyclers and Retreaders are as below:
For 1st Default – Rs. 12,500.0
For 2nd Default – Rs. Two times of first default i.e. Rs. 12,500.0 x 2=Rs. 25,000.0
For 3rd Default - Two times of second default i.e. Rs. 25,000 x 2=Rs. 50,000.0

B. For informal/illegalSale/Storage/Transportaion/Retreading/Recycling of Waste Tyre by any non-registered entity/person/shop/entity, EC Regime 2 will by applicable and the EC will be as below:
EC = Rs. 12,500.0 + Quantity of Waste Tyre Seized x Rs 8.40 per Kg of seized waste Tyre

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 के साथ आप द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार माह सितम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 तक आपकी इकाई में औसतन दैनिक टायर की खपत 2,392 कि0ग्रा0/दिन है जिसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक माह सितम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 तक EC=12,500 + 2392 X 8.5 = Rs. 32832/per day (Rs. Thirty Two Thousand Eight Hundred Thirty Two Only) आंकलित होती है।

......कृ0पृ0उ0

टी.सी. -12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226 010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

यह कि संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 17.03.2025 में निम्नानुसार सुझाव एवं टिप्पणी की गयी है :–

A. To upgrade its Unit to Advanced Batch Automated Technology Process (ABAP) as per CPCB SOP dated 16.01.2024 for "Recycling of Waste scrap for the recovery of Tyre Pyrolysis Oil, Pyro Gas and Char in Tyre Pyrolysis Oil (TPO) Units" and provide below mentioned features:

i. Automatic control systems such as Programmed Logic Control (PLC) for measurement and control of temperature and pressure along with safety inter-locks in case of increase of temperature or pressure to cut off heating of the reactor.

ii. Sensors along with alarm system at all the transfer points throughout the plant to detect any leakage of flammable vapours from the system.

iii. Bypass arrangement for pyro gas from reactor door to primary condenser.

vi. Fire detectors, sprinklers and fire hydrant with necessary pumping system and water storage should be provided in the process area, product and raw material storage area,

v. Provision for suction hoods over the gate of reactor and char bagging area,

vi. Water sprinkler system, and

vii. Mechanized arrangement for removal of char and steel scrap and arrangement of Nitrogen gas (N) purging to address environmental and safety concerns.

B. To increase the height of its stack upto 30 meters as per Consolidated Consent & Authorisation.

C. To develop green belt across its periphery. The green belt may not be less than 5% of the total area of the plot in line with CPCB SOP.

D. To provide concrete flooring for storage of Raw Material & End Products as required under CPCB SOP.

E. To register under CPCB online Waste Tyre EPR Portal as per the provisions stipulated under schedule-IX of the Hazardous & Other Waste (M&TM) Amendment Rules, 2022 for Utilization & Management of Waste Tyre.

F. To remove the spillage of carbon black immediately from the agricultural land of complainant.

G. To obtain permission for Change in Land Use from concerned department.

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी की अनुमति से आपके इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए सपठित 21(4) के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यों न इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के पक्ष में बोर्ड के पत्र सं0–188470/यूपीपीसीबी/बिजनौर (यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/वाय/बिजनौर/2023 दिनांक 28.07.2023 द्वारा निर्गत सशर्त

Q√

सहमति जल एवं वायु को खण्डित करते हुए इकाई के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये की इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर को मिलने वाले जल एवं बिजली की समस्त सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए।
3. यह कि इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर द्वारा संयुक्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव एवं टिप्पणी के दृष्टिगत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए उक्त समस्त संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार समस्या के समाधान किये जाने तक रू0 32,832/(रू0 बत्तीस हाजर आठ सौ बत्तीस मात्र) प्रतिदिन की दर से क्यों न आपकी इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार आपकी इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई के स्वामी का होगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

संलग्नक-14

UPPCB-CRCLOMISC/2872/2025-CIR7-UPPCB

I/211744/2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं0- H-30344/सी-7/विविध-716 /2025 दिनांक- 17/07/2025

पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर,
जिला–बिजनौर।
मो0–0591 2485594

विषय –माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदशों के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने के संबंध में।

यह कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर द्वारा कच्चे माल के रूप में वेस्ट टायर–06 मीट्रिक टन/दिल का प्रयोग कर फर्नेस ऑयल–2.5 मीट्रिक टन/दिन कार्बन ब्लैक–2.5 मीट्रिक टन/दिन, स्टील वायर–200 किलाग्राम/दिन का उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 39 डी के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के अनुपालन में इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध बोर्ड के पत्रांक एच–27891/सी–7/विविध–716/25 दिनांक 06.05.2025 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग प्रोपराइटर श्री सचिन त्यागी को दिनांक 15.05.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा By Hand प्राप्त करायी गयी।

यह कि इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.05.2025 के क्रम मे इकाई द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रत्यावेदन मे वर्णित बिन्दुओं के संबंध में टिप्पणी निम्नवत् है:–

क्र0सं0	प्रतिउत्तर का बिन्दु संख्या–01	टिप्पणी	अभियुक्ति
1.	At the very outset the Notice puts forth that the present SCN is an afterthought and an exercise undertaken without due diligence and consideration of the status of the issue at hand.	बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.05.2025 में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 मे जारी निर्देशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 17.03.2025 में पाये गये तथ्यों को समावेशित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 में पाया गया था कि उक्त इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है तथा इकाई मे स्थापित रिएक्टर की चिमनी मात्र 21 मीटर पायी गयी जबकि राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति वायु में चिमनी की ऊंचाई भू–तल से 30 मीटर ऊंची किया जाना निर्देशित है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–01 को खण्डित किया जाता है।
2.	In fact, for reasons best known to the UPPCB, no reference has been made to the fact that fact that M/s Dev Industries has been operating in a wholly legal and authorized manner and a Consolidated Consent to Operate and Authorization	राज्य बोर्ड द्वारा इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील चांदपुर, जिला–बिजनौर के पक्ष मे दिनांक 31.07.2028 तक वैध सशर्त सहमति जल एवं वायु निर्गत की गयी है। उक्त निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु में यह शर्त अधिरोपित की गयी है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु स्थापित चिमनी की मानकों के अनुरूप रखी जाएगी	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–02 को खण्डित किया जाता है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

मैसर्स- देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीन, तहसील- चांदपुर, बिजनौर। 1/2117744/2025

IPPCB-CRCLOMISC/2872/2025-CIR7-UPPCB

	(hereinafter referred to as ' CCA) dated 25.07.2023 was duly issued by the UPPCB in accordance with Section 25 of the Water (Prevention & Control of pollution) Act, 1974 (hereinafter the **Water Act'**) as also under Section 21 of the Air (Prevention & Control of pollution) Act, 1981 (hereinafter the **Air Act'**)	तथा इकाई द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 25.07. 2023 के अनुसार बैच प्रोसेस को सतत प्रोसेस मे परिवर्तित किया जाएगा। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17. 03.2025 में पाया गया है कि इकाई में स्थापित व्यवस्था में एडवांस बैच आटोमेटेड प्रोसेस अपनाया नही गया है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 का पूर्ण अनुपालन नही किया गया है। इकाई में पी0एल0सी0 कन्ट्रोल अरेंजमेंट, पायरोगैस हेतु बाइपास अरेंजमेंट, पायरोगैस की फ्लेरिंग हेतु व्यवस्था नही पायी गयी। उक्त संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03. 2025 में पाया गया कि इकाई द्वारा प्रोसेसिंग से जनित कार्बन ब्लैक को समीप की कृषि भूमि पर निस्तारित किया जा रहा है। इकाई में स्थापित रिएक्टर से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 21 मीटर ऊंची पायी गयी जबकि बोर्ड द्वारा जारी सहमति एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई भूतल से 30 मीटर निर्देशित है। क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर द्वारा पूर्व मे निरीक्षण दिनांक 21.07.2023 में भी पाया गया था कि इकाई मे स्थापित दो फर्नेस से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की ऊंचाई भूतल से 21 मीटर है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा मानकों के अनुरूप चिमनी की ऊंचाई नही रखी गयी थी।	
3.	Notably, the said CCA grants authorization to the Notice from 01.08.2023 to 31.07.2028 and is valid for manufacturing of following products; Furnace Oil (2.5MT/day) Carbon Black (2.5 MT/day) Steel Wire (200 kg/day)	बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध मे टिप्पणी उक्तानुसार है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–03 को खण्डित किया जाता है।
4.	It must thus be noted that the Notice herein has been operating in complete and absolute compliance with the said CCA as also the law governing the same.	संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 मे पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति वायु मे अधिरोपित शर्तों एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 का उल्लंघन कर इकाई का संचालन किया गया।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–04 को खण्डित किया जाता है।
5.	Additionally, the "Guidelines for Environmental Compensation (EC) under Waste Tyre EPR Regime" were notified from 03.09.2024 however the manner of calculation to the EC by the UPPCB is misplaced and erroneous. The guidelines provide for a registration fee based calculation' of compensation under EC	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0 593 (ई0) दिनांक 21.07.2022 द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्ध और सीमा पार संचलन) संशोधन, नियम–2022 अधिसूचित किये गये है जो कि प्रकाशन की तिथि से लागू है। उक्त नियम की अनुसूची 9 में अपशिष्ट टायर के लिए ई0पी0आर0 प्राविधानित किये गये है। जिसके अनुसार वेस्ट टायर के रिसायकलर द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये ऑनलाइन पोर्टल पर ई0पी0आर0 हेतु पंजीकरण कराये बिना इकाई का संचालन नही किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टायर पायरोलिसिस प्लाण्ट के संचालन हेतु 16.01.2024 द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। इसी क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 के प्राविधानों का	उक्त को

	Regime- 2 and qua the same the registration fee has been computed as an average of Rs. 12500/- for ' Recyclers and Retreaders.	उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन तैयार की गयी है। जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर नोटिस के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील–चांदपुर जिला–बिजनौर द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्यवाही नही की गयी एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही किया गया है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक 03.09.2024 के अनुसार ई0सी0 रिजीम–2 (बी0) के अनुसार इकाई पर पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। B. For informal/illegal Sale /Storag/Transportation /Retreading/Recycling of Waste Tyre by any non-registered entity/person/shop/entity, EC Regine2 will be applicable and the EC will be as below: EC= Rs. 12,000.0+Quantity of Waste Tyre Seized x RS. 8.40 per Kg of seized Waste Tyre.	दृष्टिगत रखते हुए एवं यह संज्ञान मे लेते हुए कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है जिस कारण पर्यावरणी क्षतिपूर्ति हेतु ईसी रिजीम 2 बी के अनुसार गणना की गयी है।
6.	Additionally, vide Clause 6.2 (B) of the guidelines, the ' quantity of waste tyre seized ' assumed crucial importance for devoid of the same no pro-rata calculation of EC can be made under Regime-2	क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 द्वारा प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर तहसील–चांदपुर जिला–बिजनौर, द्वारा माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2025 तक माहवार खपत किये गये वेस्ट टायर की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अनुसार माह फरवरी 2025 को छोड़कर अन्य समस्त माह मे इकाई द्वारा वेस्ट टायर की खपत की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि इकाई द्वारा ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है अतः इकाई द्वारा उपभोग किये गये वेस्ट टायर को **Quantity of Waste Tyre Seized** की श्रेणी में रखते हुए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
7.	However in the matter at hand, and as the Joint Committee Report dated 17.03.2025 makes evident, the Tyre Pyrolysis plant (TPO) as operated by M/s Dev Industries has been non-operational and thus there is no basis for calculation of EC at Rs. 32,832 per day from September 2024 to April 2025	संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 के दौरान इकाई संचालित नही पायी गयी परन्तु इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 का अनुपालन नही किया गया, इकाई द्वारा राख का निस्तारण समीप के खेतों मे किया जाता पाया गया, एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा प्लाण्ट का संचालन नियम के विरूद्ध किया गया है तथा उक्त उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में की गयी गणना के अनुसार ही पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन को संज्ञान में रखते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना माह सितम्बर 2024 से माह जनवरी 2025 तक किये जाने पर विचार किया जा सकता है।	
8.	Moreover, the above- outlined guidelines as also the EC Regime- 2 nowhere grant the power to apportion the EC in an onerous and unreasonable manner	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणी क्षतिपूर्ति हेतु जारी उक्त गाइडलाइन 03.09.2024 के द्वारा पंजीकरण किये बिना संचालित रिसायकलर एवं एस0ओ0पी0 का उल्लंघन कर संचालित रिसायकलर	

	as her been done herein by the UPPCB. The EC Regime-2 is clear in its mandates that if at all there is an EPR violation the same shall be calculated as a sum of the (1) Registration fee default, (2) Quantity of seized tyre, and (3) Multiplier of Rs 8.40 per kg of such seizure.	पर ई0सी0 रिजीम–2 के आधार पर कार्यवाही किया जाना निर्देशित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
9.	As has already been outlined above, there is no seizure of any illegal tyre made by the UPPCB and its calculation rests on an assumptive basis entirely.	क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 द्वारा प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुदीनपुर तहसील–चांदपुर जिला–बिजनौर, द्वारा माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2025 तक माहवार खपत किये गये वेस्ट टायर की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अनुसार माह फरवरी 2025 को छोड़कर अन्य समस्त माह मे इकाई द्वारा वेस्ट टायर की खपत की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि इकाई द्वारा ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है अतः इकाई द्वारा उपभोग किये गये वेस्ट टायर को Quantity of Waste Tyre Seized की श्रेणी में रखते हुए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
10.	Having regards to the response as above outlined, the answering Noticee puts forth that being the operator of the recycling paint, in compliance of the joint committee report was in the process of outlining its responses/ replies to the remediel actions of outlined vide said report and due to the calamitous events of the intervening night of 18/19.04.2025, the entire recycling plant was devastated and substantially extensive damage was caused. Manifestly thus, no manufacturing/ industrial activity has been undertaken. That the answering Noticee had earlier followed the guidelines issued by the UPPCB for the installation of the ETP (effluent treatment plant) and the same was installed at the earliest and information for the same was given to the department . Furthermore, the chimney stack installed at the TPO is having height of 30 mtrs and the same has been erroneously mentioned in the joint committee report as 21 mtrs because the incorrect records maintained by the UPPCB. The Noticee herein has never neglected to adhere to the guidelines issued qua its operation. That, the SOP issued in September, 2024 was not in the	इकाई द्वारा पत्र प्रेषित किये गये है कि दिनांक 18/19.04.2025 मे आये तूफान के कारण रिसाइकिलिंग प्लाण्ट टूट गया जिसको प्रतिनिधि द्वारा रिनोवेट कराया गया है इकाई द्वारा नई चिमनी का निर्माण भी उक्त अवधि मे किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.05.2025 में किये गये निरीक्षण रिपोर्ट मे वर्णित है कि उक्त निरीक्षण के दौरान इकाई मे पूर्व से स्थापित चिमनी के स्थान पर नई चिमनी की स्थापना कर ली गयी है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्य की संयुक्त रिपोर्ट मे चिमनी की ऊंचाई 21 मीटर प्रदर्शित किया जाना गलत है पर विचार नही किया जा सकता। इकाई द्वारा प्रेषित यह तथ्य कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 (सितम्बर 2024) के सम्बन्ध मे इकाई को पता नही था पर भी विचार किया जाना सम्भव नही है क्योंकि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता मे गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2025 प्राप्त होने के उपरांत भी अद्यतन तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में सूचित नही किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा जानबूझकर भारत सरकार द्वारा जारी प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–10 को खण्डित किया जाता है।

	knowledge of the answering respondent and therefore necessary changes could not be made according the new SOP. The answering respondent came to know about the new SOP only after reading the joint committee report submitted in the NGT, Delhi Therefore keeping in consideration the above- outlined submissions of the Noticee herein , the matter at hand is sub-judice and the Noticee has fully complied with all the directions as issued to it by the Hon'ble National Green Tribunal. In fact, a time period 0f 6-8 weeks has been granted to it to file its compliance affidavit and therefore no adverse and coercive action ought to be taken against it devoid of directions from the Hon'ble NGT.		

यह कि इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.05.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई बन्द पायी गयी।

यह कि इकाई के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम मे प्रेषित प्रत्युत्तर संतोषजनक नही पाया गया। इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गयी SOP के अनुसार कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 के प्राविधानों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर ई0पी0आर0 हेतु पंजीकरण नहीं कराया गया है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 में निम्न निर्देश जारी किये गये है:–

".......19. The District Magistrate, Bijnor and the Superintendent of Police, Bijnor are directed to ensure that the Respondent No. 5 does not illegally operate the plant in question......"

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए सपठित 21(4) के अन्तर्गत उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं:–

1. यह कि उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के पक्ष में क्षेत्रीय कार्यालय के आनलाइन संदर्भ संख्या–188470/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/both/ Bijnore/2023 दिनांक 25.07.2023 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु को खण्डित किया जाता है।

2. यह कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन से सम्बद्ध समस्त विद्युत कनेक्शनों एवं जलापूर्ति कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त संयुक्त समिति द्वारा पूर्व में किये गये निरीक्षण दिनांक 07.03.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.05.2025 को किये गये निरीक्षण मे पायी गयी कमियों के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध रू–32,832/– प्रतिदिन की दर से माह सितम्बर 2024 से माह जनवरी 2025 तक रू0–50,23,296/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित अधिरोपित की जाती है।

उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू– 50,23,296/- (Fifty Lakh Twenty Three Thousand Tow Hundred Ninty Six only) को 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि 50,23,296/- (Fifty Lakh Twenty Three Thousand Tow Hundred Ninty Six only) का भुगतान Payment Gateway (URL: http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में 15 कार्यदिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। Payment Gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें:–

1–Nature of Pollution /प्रदूषण की प्रकृति–	Air Pollution
2–Regional Offices /क्षेत्रीय कार्यालय–	Bijnore
3–EC imposed in compliance /अनुपालन में ईसी लगाया गया–	UPPCB

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 17-07-2025
18:40:54

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि:–
1. जिलाधिकारी बिजनौर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिजनौर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

संलग्नक – 15

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में आच्छित OA no. - 03/2025, Bhishm Tyagi v/s state of UP. & Ors. में पारित आदेशों के अनुपालन में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक H·30344/C-7/विविध-716/2025 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम - जमालुद्दीन, तहसील - चाँदपुर, जिला - बिजनौर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर के पत्र सं० 501/N-68/जनरल-2025 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा गठित समिति के द्वारा आज दिनांक 22.07.2025 को उक्त उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बन्द पाया गया।

उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन के क्रम में उद्योग में स्थापित मशीनों (रोटरी रियक्टर 1 व रोटरी रियक्टर 2) एवं डी० जी० सेट को गठित समिति द्वारा सील कर दिया गया है। बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना : नूरपुर, जनपद बिजनौर को सौंप दी गयी है।

(हस्ताक्षर) 22/07/25
आशीष शर्मा
J.E.
UPPCB
बिजनौर

(हस्ताक्षर) 22-7-25
प्रमोद कुमार
(SI)
थाना : नूरपुर
बिजनौर

(हस्ताक्षर) 22-7-25
आलोक कार्दयार
(तहसीलदार)
चाँदपुर, बिजनौर

(हस्ताक्षर) 22/07/25
सुभाष चन्द
JRF
UPPCB
बिजनौर

(हस्ताक्षर)
CO(CPA)
देश दीपक सिंह
(C.O.)
चाँदपुर बिजनौर

(हस्ताक्षर)
दिनेश सिंह
(लेखपाल)
चाँदपुर बिजनौर

–:कार्यालय आदेश:–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में OA No.-03/2025, Bhishm Tyagi Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक–एच30344/सी–7/विविध–716/ 2025, दिनांक–17.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बंदी आदेश के अनुपालन की कार्यवाही माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की जानी है।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जाती है :–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), चांदपुर, जनपद–बिजनौर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

उक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अगली नियत सुनवाई के दृष्टिगत अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय प्रेषित की जा सकें।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर o/c

पत्रांक– 501/N-68/जनरल-2025 दिनांक– 18-07-2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।
1. उप जिलाधिकारी, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), चांदपुर, जनपद–बिजनौर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिलाधिकारी
बिजनौर

o/c

http://udyogaadhaar.gov.in/UA/PrintAcknowledgement.aspx

Annexure-2

भारत सरकार
Govt. of India
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम मंत्रालय
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

MSME
सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम
MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

उद्योग आधार | MSME | Udyog Aadhaar

A

	Micro	Small	Medium
Type of Enterprise			
Manufacturing	A	B	C
Services	D	E	F
UAN	UP17A0000535		

Udyog Aadhaar Acknowledgement

Udyog Aadhaar Number: UP17A0000535

Name of Enterprise: M/S DEV INDUSTRIES

Postal Address: VILL- JAMALUDDINEUR, POST- NAGLI PATHWARI, TEH- CHANDPUR, DISTT- BIJNOR

District	BIJNOR	State	UTTAR PRADESH	PIN
Mobile No:	9759251478	Email:	sachintyagi1987@gmail.com	

Date of commencement: 19/09/2015

Previous Registration details-if any: ::

Acknowledgement: Date of Filing 09/08/2016 | Date of Printing 09/08/2016

Disclaimer: This is computer generated statement, no signature required.
Printed from udyogaadhaar.gov.in

MyMsme Mobile App (Beta Version) is available now for download. https://play.google.com/store/apps/details?id=msme.mymsme

PRINT

For Dev Industries
Pr...

For Dev Industries
सचिन त्यागी
(Sachin K. Tyagi)
Prop.

Govt. of India
MINISTRY OF MICRO, SMALL & MEDIUM ENTERPRISES

MSME

उद्योग आधार — Udyog Aadhaar

A

Type of Enterprise	Micro	Small	Medium
Manufacturing	A	B	C
Services	D	E	F
UAN	UP17A0000535		

Udyog Aadhaar Memorandum

1	Aadhaar Number	269521729484
2	Name of Entrepreneur	SACHIN KUMAR
3	Social Category	GENERAL
4	Name of Enterprise	M/S DEV INDUSTRIES
5	Type of Organization	PROPRIETARY
6	Postal Address	VILL- JAMALUDDINEUR, POST- NAGLI PATHWARI, TEH- CHANDPUR, DISTT- BIJNOR District: BIJNOR State: UTTAR PRADESH PIN: 246727 Mobile No: 9759251478 Email: sachintyagi1987@gmail.com
7	Date of commencement	19/09/2015
8	Previous Registration details-if any	::
9	Bank Details	IFS Code: ORBC0101547 Bank Account: 15471131001471
10	Major Activity	MANUFACTURING

11

SN	NIC 2 Digit	NIC 4 Digit	NIC 5 Digit Code	Activity Type
1	Other manufacturing	Other manufacturing n.e.c.	Manufacture of other articles n.e.c.	Manufacturing

12	Persons employed	8
13	Investment (Plant & Machinery / Equipment's)	25(Rs. in Lakhs)
14	District Industry Centre	BIJNOR

Declaration

I hereby declare that information given above is true to the best of my knowledge. Any information, that may be required to be verified, shall be provided immediately before the concerned authority.

MyMsme Mobile App (Beta Version) is available now for download, https://play.google.com/store/apps/details?id=msme.mymsme

PRINT

सचिन त्यागी

For Dev Industries
Prop.

दूरभाष व फैक्स: (01342) 260434
ई–मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

दिनांक : 04-10-2024

सन्दर्भ सं0 : 688/D-33/बिजनौर-2024

सेवा में,

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर,
जिला–बिजनौर।

विषय–जल (प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण) अधिनिमय–1974 तथा इसके संशोधित अधिनियम–1978 एवं वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम–1981 के प्राविधानों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त सम्बन्ध में आपकी इकाई के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के कम में उद्योग का निरीक्षण दिनांक–01.10.2024 को इस कार्यालय के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा आपकी इकाई प्रतिनिधि श्री सचिन त्यागी की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई संचालित नही पायी गयी।

उक्त इकाई में कच्चे माल के रूप में रबर स्केप/वेस्ट रबर/वेस्ट टायर–06 मीट्रिक टन/दिन का प्रयोग कर फर्नेस आयल 2.5 टन/दिन, कार्बन ब्लैक 2.5 टन/दिन तथा स्टील वायर 200 किग्रा/दिन का उत्पादन किया जाता है, निरीक्षण के समय उद्योग की चिमनी पर स्टैक मॉनिटरिंग एवं प्लेटफार्म की व्यवस्था तथा उद्योग को राज्य बोर्ड द्वारा जारी सी0टी0ओ0 की शर्त सं0–18 एवं उद्योग द्वारा प्रेषित अपने शपथ पत्र दिनांक–25.07.2023 के कम में उत्प्रवाह शुद्धिकरण संयन्त्र की स्थापना, जारी सी0टी0ओ0 की शर्तों का अनुपालन नही किया गया है।

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उक्त संबंध में अपना स्पष्टीकरण अविलम्ब/तत्काल इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें। अन्यथा आपकी इकाई के विरूद्ध उपरोक्त अधिनियमों के प्रावधानों के अन्तर्गत कार्यवाही की जा सकती है, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व आपका स्वयं का होगा।

भवदीय,

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-4

DEV INDUSTRIES

Rubber Processed Oil, Carbon, Steel Wire etc.

07-10-24 D-33

सेवा में,

श्रीमान क्षेत्रिय अधिकारी महोदय,

उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड , बिजनौर।

श्रीमान जी,

निवेदन है कि आपके पत्र सं0-688/D-33/बिजनौर-2024 दिनांक 04.10.2024 के सम्बन्ध में अवगत कराना हैं कि हमारी इकाई में स्थापित चिमनी पर प्लेट फॉर्म जर्झर अवस्था होने के कारण टूटकर गिर गया था मेरे द्वारा उक्त चिमनी पर नई प्लेट फॉर्म की स्थापना कर ली गई हैं फोटो संलग्न हैं तथा इकाई द्वारा इकाई से निकलने वाले जल कें शोधन हेतु 5 के.एल. प्रतिदिन क्षमता वाला ई0टी0पी0 की स्थापना का कार्य वर्तमान में किया जा रहा हैं जो लगभग 5-6 दिन में पूर्ण हो जायेगा। मेरे द्वारा राज्य बोर्ड द्वारा सहमति शर्तों का पूर्णतया अनुपालन किया जायेगा।

अत: आपसे अनुरोध हैं कि इकाई के जारी नोटिस को समाप्त करने की कृपा करे।

आपकी अति कृपा होगी।

प्रार्थी

दिनांक — 07.10.2024

देव इण्डस्ट्री जमालुद्दीनपुर बिजनौर।

Auth.Sign.

AEE/SA

FACTORY : JAMALUDDINPUR, POST. NAGLI PATHWARI, TEHSIL CHANDPUR, DISTT. BIJNOR (U.P.)
OFFICE : TYAGI MARKET, ABDULLAPUR, DAHANA SAIDPUR BATTA P.O. NAGLI PATHWARI DISTT. BIJNOR
Mobile : 09758684936 • E-mail : sachinstyagi1987@gmail.com

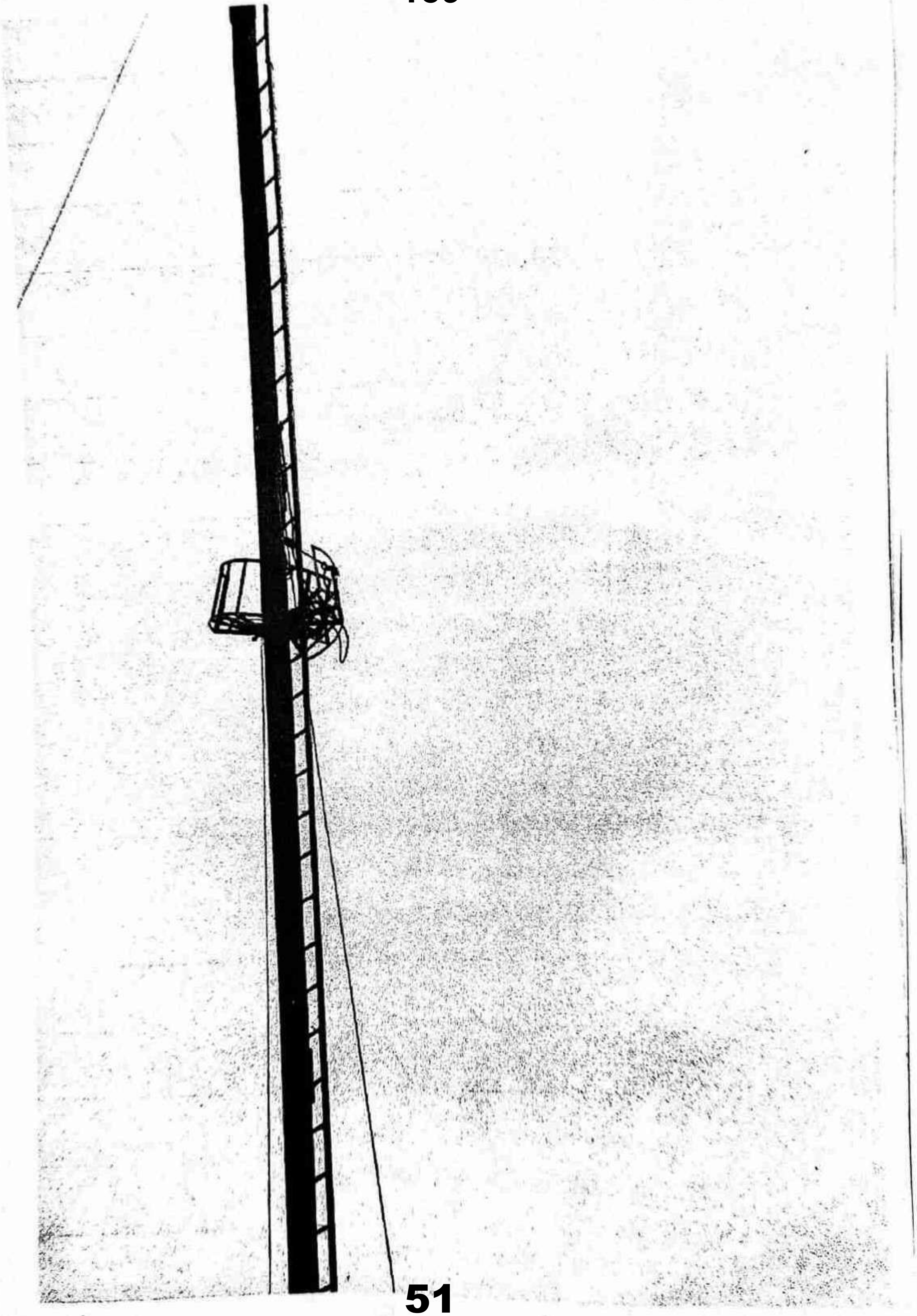

कार्यालय जिलाधिकारी अमरोहा के पत्रांक-726/आई0जी0आर0एस0सहा0/2024 दिनांक-18.10.2024 के साथ संलग्न आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-92413700020899 एवं पत्रांक-727/आई0जी0आर0एस0सहा0/2024 दिनांक-18.10.2024 के साथ संलग्न आई0जी0आर0एस0 संदर्भ सं0-92413700021267 के माध्यम से मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीनपुर, तहसील-चाँदपुर, जिला-बिजनौर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त शिकायती इकाई का निरीक्षण अधोहस्ताक्षरकर्ताओ द्वारा दिनांक-19.10.2024 को उद्योग प्रतिनिधि श्री सचिन त्यागी, पार्टनर की उपस्थिति में किया गया। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :-

1. उद्योग द्वारा कच्चे माल के रूप में रबर स्क्रेप/वेस्ट रबर/वेस्ट टायर-06 मीट्रिक टन/दिन का प्रयोग कर फर्नेस आयल 2.5 टन/दिन, कार्बन ब्लैक 2.5 टन/दिन तथा स्टील वायर 200 किग्रा/दिन का उत्पादन किया जाता है। निरीक्षण के समय उद्योग संचालित नही पाया गया।
2. उद्योग द्वारा जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रकिया में शीतलन हेतु प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। उद्योग में वांशिग प्रकिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 05 किली0/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयन्त्र स्थापित है, जिसकी इकाईयाँ कमशः कलेक्शन टैंक, ऑयल ग्रीस ट्रैप, कोगुलेशन एवं फ्लोकुलेशन टैंक, ट्यूब सेटलर, फिल्टर फीड टैंक, एस0सी0एफ0, एम0जी0एफ0, स्लज ड्राईंग बेड्स हैं।
3. उद्योग में स्थापित दो फर्नेस से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की भूतल से ऊँचाई 21 मीटर है। उक्त फर्नेस पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में वेट स्कबर स्थापित है। फर्नेस हेतु ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है। उद्योग द्वारा फर्नेस से सम्बद्ध चिमनी के अनुश्रवण (स्टेक मॉनिटरिंग) का कार्य मैसर्स इन्वायरो टेक सर्विसेस, गाजियाबाद से कराकर अनुश्रवण आख्या दिनांक-15.10.2023 प्रेषित की गयी है। अनुश्रवण आख्या संलग्न है।
4. उद्योग में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 62.5 के0वी0ए0 एवं 15 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0सेट्स स्थापित है। निरीक्षण के समय डी0जी0सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई निकटतम छत तल से बोर्ड मानको के अनुरूप पायी गयी। डी0जी0सेट्स हेतु ईंधन के रूप में डीजल आवश्यकतानुसार प्रयोग किया जाता है।
5. उक्त इकाई को इस कार्यालय द्वारा निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन सन्दर्भ सं0-188470/यूपीपीसीबी/बिजनौर(यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/बोथ/बिजनौर/2023 दिनांक-25.07.23 द्वारा सशर्त सी0टी0ओ0 निर्गत की गयी थी, जिसकी वैधता अवधि दिनांक-31.07.2028 तक है।

कमशः.....2......

(2)

6. निरीक्षण के समय उद्योग की चिमनी पर स्टैक मॉनिटरिंग हेतु प्लेटफार्म की व्यवस्था पायी गयी।

7. जिला कृषि अधिकारी के पत्रांक–1383/4–कृषि/ए0डी0ए0ओ0/2024–25/ दिनांक–15.10.2024 के द्वारा उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

अतः उपरोक्त निरीक्षण आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

21/10/24 21/10/24

(नारायण दत्त पाठक)
जे0आर0एफ0

(एस0के0त्रिपाठी)
वैज्ञानिक सहायक

सहा0पर्या0अभियन्ता/क्षेत्रीय अधिकारी महोदय

21-10-24 21/10/24

ENVIRO-TECH SERVICES

ISO 45001

(A GOVERNMENT APPROVED LAB)

Plot No. 1/32, S.S. of G.T. Road Industrial Area, Ghaziabad (U.P.) - 201001
Website [illegible] Ph. [illegible]

TEST REPORT

DATE OF REPORT : 15-10-2024

TEST REPORT NO : ETS/19-10/138/10/2024

STACK EMISSION MONITORING AND ANALYSIS REPORT

Name And Address Of Customer : M/s DEV INDUSTRIES
GRAM - JAMALUDEENPUR, POST - NANGLI PATHRARL, TEHSIL - CHANDPUR, BIJNORE, U.P., INDIA -

Date Of Sampling : 10-10-2024
Analysis Start Date : 11-10-2024
Analysis End Date : 15-10-2024
Duration Of Sampling : 30 MIN
Sample ID No : 15-10/13d/10/24
Sampling Done By : ETS LAB
Sampling Method : ETS/STP/STACK-01
Stack Attached To : TWO HEATING FURNACES ATTACHED TO A SINGLE STACK
Capacity : --
Type Of Fuel Used : WOOD SCRAP
Quantity Of Fuel Used : 500 KG/DAY
Stack Height Above The Ground : 30 Mtr
Stack Dia At The Top : 300 mm
Material Of Construction : MS
Normal Operation Schedule : 24 HRS
Attached APCS : WET SCRUBBER SEPARETLY IN BOTH
Equipments Used : ETS/INST-273 (CES)...
Ambient Temperature : [illegible]
Velocity Of Flue Gases : 7.4 Mtr/Sec

Flue Gas Temperature : 69°C
Quantity Of Emission Discharged : 1802.12m³/hr

S.No.	Parameter	Unit	Result	Specification/ Limit (As Per CPCB)	Test Method
1	Particulate Matters (PM)	mg/NM3	123.0	Not Specified	IS:11255 (P-1)-2019
2	Sulphur Dioxide (SO_2)	mg/NM3	18.3	600	IS 11255 (P-2)-2019
3	Oxides of Nitrogen (NO_x)	mg/Nm³	24.5	600	IS 11255 (P-7)-2022
4	Carbon Monoxide (CO)	% by Vol	0.14	1% By Volume	IS 13270-2019

Remarks: ONLY ONE HEATING FURNACE OF LEFT SIDE WAS RUNNING AT THE TIME OF MONITORING.

**** End Of Report****

FOR ENVIRO-TECH SERVICES

Page 1 Of 1

Anil [illegible] Choudhary
(Technical Manager)

AUTHORIZED SIGNATORY

CHECKED BY

Format No. ETS/LAB/[illegible] Issue No. 01 [illegible] 01/01/2019 Rev No 01 01/04/2019

Note:-
1. Test reports without ETS LAB [illegible] are not issued by our laboratory.
2. The results indicated only refer to the tested samples and listed applicable parameters.
3. No complaint will be entertained if received after 7 days of issue of test report.
4. Our liability is limited to invoice value only.
5. The sample shall be destroyed after 15 days & Biological / Perishable sample shall be destroyed immediately after issue of test report.
6. This test report shall not be used in any advertising media or as evidence in the court of Law without prior written permission of the laboratory.

प्रेषक,

जिला कृषि अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

पत्रांक 1383 / 4–कृषि / ए0डी0ए0ओ0 / 2024–25 / दिनांक 15.10.2024

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 686 / D-33 / बिजनौर–2024 / दिनांक 04.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम बसेड़ा तगा, तहसील नोगावां सादात, जिला अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इन्डस्ट्रीज, ग्राम जमालुददीन, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव के संबंध में अद्यतन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1340 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड नूरपुर द्वारा उक्त इकाई के आस–पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच कराई गई। सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड नूरपुर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 14.10.2024 को उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ रहा है। जांच आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिला कृषि अधिकारी,
बिजनौर।

पृष्ठांकन सख्या /उक्त दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप कृषि निदेशक, बिजनौर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
3. जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर की सेवा मे अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला कृषि अधिकारी
बिजनौर।

SL-2

सेवा में दि० 14/10/2024

जिला कृषि अधिकारी
बिजनौर।

महोदय

अवगत कराना है कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज ग्राम जमालुद्दीन तहसील-चाँदपुर के विरुद्ध प्रेषित शिकायत की जाँच आख्या में पाया कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज के चारो तरफ कि फसलो पर प्रदूषण नही पाया गया तथा ना ही फसलो पर किसी प्रकार का प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है

रिपोर्ट आपकी सेवा में आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित

भवदीय

ह०
प्रा.०.कृषि
नूरपुर।

उपस्थित कृषकों के हस्ताक्षर

उदयवीर सिंह
कपिल कुमार
राहुल कुमार

[signature]

कनूचावला
बिन्नू त्यागी
Deepak Tyagi
[signature]
मुन्नू जैकी
विनय कुमार त्यागी

दूरभाष व फैक्स : (01342) 2______ खेलिया?-
ई–मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड Annexure-6

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 686/D-33/बिजनौर-2024 दिनांक : 04-10-2024

सेवा में,

जिला कृषि अधिकारी
बिजनौर।

विषय–श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत, जो कि कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर के सन्दर्भ संख्या–688/ई0आर0के0 के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुयी है (छायाप्रति संलग्न), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उक्त इकाई के आस–पास की हरी भरी फसले नष्ट हो रही है और फसलों की उपज पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ रहा है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाग के संबंध में अद्यतन आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रकरण में आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1–जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर को उनके सन्दर्भ संख्या–688/ई0आर0के0 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक–एच17987/सी–7/शिकायती बिजनौर/24 दिनांक–30.09.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

6/10

15-10-24 शैलेन्द्र कुमार शर्मा

प्रेषक,

जिला कृषि अधिकारी,
बिजनौर।

सेवा मे,

क्षेत्रीय अधिकारी,
प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

पत्रांक 1383 / 4–कृषि / ए0डी0ए0ओ0 / 2024–25 / दिनांक 15.10.2024

महोदय,

कृपया अपने कार्यालय पत्रांक 686 / D-33 / बिजनौर–2024 / दिनांक 04.10.2024 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करे, जिसके द्वारा मा0 श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम बसेड़ा तगा, तहसील नोगावां सादात, जिला अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इन्डस्ट्रीज, ग्राम जमालुद्दीन, तहसील चांदपुर, जिला बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत प्राप्त हुई है, जिसमें उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव के संबंध में अद्यतन आख्या उपलब्ध कराने की अपेक्षा की गई है।

तत्क्रम में अधोहस्ताक्षरी कार्यालय पत्रांक 1340 दिनांक 07.10.2024 के द्वारा सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड नूरपुर द्वारा उक्त इकाई के आस–पास की फसलों पर पड़ रहे प्रभाव की जांच कराई गई। सहायक विकास अधिकारी (कृषि), विकास खण्ड नूरपुर ने अपनी जांच आख्या दिनांक 14.10.2024 को उपलब्ध कराते हुए अवगत कराया है कि उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नही पड़ रहा है। जांच आख्या पत्र के साथ संलग्न है।

संलग्न–उपरोक्तानुसार।

भवदीय

जिला कृषि अधिकारी,
बिजनौर।

पृष्ठांकन सख्या / उक्त दिनांक

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. उप कृषि निदेशक, बिजनौर।
2. मुख्य विकास अधिकारी, बिजनौर।
3. जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर की सेवा मे अवलोकनार्थ प्रेषित।

जिला कृषि अधिकारी
बिजनौर।

दूरभाष व फैक्सः (01342) 260434
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

Annexure-7

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 687/0-33/बिजनौर-2024 दिनांक : 04-10-2024

सेवा में,
मुख्य चिकित्साधिकारी
बिजनौर।

विषय–श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत, जो कि कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर के सन्दर्भ संख्या–688/ई0आर0के0 के माध्यम से इस कार्यालय में प्राप्त हुयी है (छायाप्रति संलग्न), का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसमें उल्लिखित है कि उक्त इकाई के संचालन से आस–पास की आबादी का स्वास्थ्य खराब हो रहा है।

अतः उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे अनुरोध है कि उक्त इकाई के आस–पास के निवासियों के स्वास्थ्य के संबंध में अद्यतन आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रकरण में आख्या बोर्ड मुख्यालय को प्रेषित की जा सकें।

संलग्नक–उपरोक्तानुसार।

भवदीय,

(विजय)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–

1–जिलाधिकारी महोदय, बिजनौर को उनके सन्दर्भ संख्या–688/ई0आर0के0 के सन्दर्भ में सादर सूचनार्थ प्रेषित।

2–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ को उनके पत्रांक–एच17987/सी–7/शिकायती बिजनौर/24 दिनांक–30.09.2024 के सन्दर्भ में सूचनार्थ प्रेषित।

क्षेत्रीय अधिकारी

O/c

Annexure-8

दूरभाष व फैक्स: (01342) 260434
ई–मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं० : 25/D-33/बिजनौर-2025 दिनांक : 04.04.2025

अनुस्मारक / महत्वपूर्ण मा0 एन0जी0टी0 प्रकरण

सेवा में,
मुख्य चिकित्साधिकारी
बिजनौर।

विषय–श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, श्री दत्तक पुत्र श्री कमलवीर सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चान्दपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्रेषित शिकायत के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्रांक–687 / डी–33 / बिजनौर–2024 दिनांक–04.10.2024 (छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें, जिसके द्वारा उद्योग के संचालन से आस–पास की आबादी का स्वास्थ्य खराब होने के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया था, जिसकी आख्या अभी तक इस कार्यालय को अप्राप्त है। उक्त प्रकरण मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली ओ0ए0 संख्या–03 / 2025 भीष्म त्यागी बनाम उ0 प्र0 राज्य सरकार एवं अन्य में विचाराधीन है।

उपरोक्त परिपेक्ष्य में आपसे पुनः अनुरोध है कि उक्त इकाई के संचालन से आस–पास के निवासियों के स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव के सम्बन्ध में अद्यतन आख्या इस कार्यालय को अविलम्ब उपलब्ध कराने का कष्ट करें, जिससे उक्त प्रकरण में आख्या संकलित कर मा0 एन0जी0टी0 में ससमय दाखिल की जा सकें।

संलग्नकः–यथोपरि।

भवदीय,

04/04/25
(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध प्राप्त शिकायत के सम्बन्ध में संयुक्त निरीक्षण आख्या।

उपरोक्त संदर्भित इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध श्री भीषम कुमार त्यागी पुत्र श्री भूदेव सिंह, निवासी ग्राम–बसेड़ा तगा, तहसील–नौगावां सादात, जिला–अमरोहा द्वारा प्रेषित शिकायत के कम में संयुक्त निरीक्षण उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर एवं राजस्व विभाग, तहसील–चांदपुर, जिला–बिजनौर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक–21.01.2025 को किया गया। निरीक्षण के समय इकाई प्रतिनिधि श्रीपाल, प्लांट इंचार्ज उपस्थित थें। निरीक्षण आख्या निम्नवत् है :–

1. इकाई द्वारा कच्चे माल के रूप में रबर स्क्रेप/वेस्ट रबर/वेस्ट टायर–06 मीट्रिक टन/दिन का प्रयोग कर फर्नेस. आयल 2.5 टन/दिन, कार्बन ब्लैक 2.5 टन/दिन तथा स्टील वायर 200 किग्रा0/दिन का उत्पादन किया जाता है। **निरीक्षण के समय इकाई संचालित नहीं पायी गयी एवं उद्योग प्रतिनिधि द्वारा अवगत कराया गया कि इकाई विगत 01 माह से स्वयं के कारणों से बन्द है।**
2. इकाई द्वारा जल का प्रयोग घरेलू प्रयोजन एवं औद्योगिक प्रकिया में शीतलन हेतु प्रयोग किया जाता है। घरेलू प्रयोजन से जनित उत्प्रवाह का निस्तारण सेप्टिक टैंक के माध्यम से किया जाता है। उद्योग में वांशिग प्रकिया से जनित उत्प्रवाह के शुद्धिकरण हेतु 05 किली0/दिन क्षमता का उत्प्रवाह शुद्धिकरण सयन्त्र स्थापित है, जिसकी इकाईयॉ कमशः कलेक्शन टैंक, ऑयल ग्रीस ट्रैप, कोगुलेशन एवं फ्लोकुलेशन टैंक, ट्यूब सेटलर, फिल्टर फीड टैंक, एस0सी0एफ0, एम0जी0एफ0, स्लज ड्राईंग बेड्स हैं।
3. इकाई में स्थापित दो फर्नेस से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की भूतल से ऊँचाई 21 मीटर है। उक्त फर्नेस पर वायु प्रदूषण नियन्त्रण व्यवस्था के रूप में वेट स्कबर स्थापित है। फर्नेस में ईंधन के रूप में लकड़ी का प्रयोग किया जाता है।
4. इकाई में वैकल्पिक विद्युत आपूर्ति हेतु 62.5 के0वी0ए0 एवं 15 के0वी0ए0 क्षमता के डी0जी0सेट्स स्थापित है। निरीक्षण के समय डी0जी0सेट से सम्बद्ध चिमनी की ऊँचाई बोर्ड मानको के अनुरूप पायी गयी।

कमशः.....2......

(2)

5. उक्त इकाई को इस कार्यालय द्वारा निवेश मित्र योजना के अन्तर्गत ऑनलाइन सन्दर्भ सं0–188470 / यूपीपीसीबी / बिजनौर(यूपीपीसीबीआरओ) / सीटीओ / बोथ / बिजनौर / 2023 दिनांक–25.07.23 द्वारा सशर्त सी0टी0ओ0 निर्गत की गयी थी, जिसकी वैधता अवधि दिनांक–31.07.2028 तक है।

6. निरीक्षण के समय उद्योग की चिमनी पर स्टैक मॉनिटरिंग हेतु प्लेटफार्म की व्यवस्था पायी गयी।

7. जिला कृषि अधिकारी, बिजनौर के पत्रांक–1383 / 4–कृषि / ए0डी0ए0ओ0 / 2024–25 / दिनांक–15.10.2024 के द्वारा उक्त इकाई के संचालन से सन्निकट आस–पास की फसलों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव न पड़ने के सम्बन्ध में आख्या प्रेषित की गयी है, जिसकी छायाप्रति संलग्न है।

उपरोक्त निरीक्षण आख्या अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रस्तुत है।

(अंशु यादव)
जे0आर0एफ0
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

(आशीष शर्मा)
अवर अभियन्ता
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
बिजनौर।

(सार्थक बावला)
नायब तहसीलदार,
तहसील–चांदपुर
जिला–बिजनौर।

ई-मेल
9-7-2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE

सन्दर्भ सं0-H29903 /सी-1/ O.A.No-03/2025 — दिनांक-08/07/25 पंजीकृत

सेवा में,

समस्त क्षेत्रीय अधिकारी,
उ0प्र0 प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड।

विषय:-माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 के अनुपालन के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0-03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 का संदर्भ ग्रहण करें (छायाप्रति संलग्न)। उक्त आदेश दिनांक 09.05.2025 मे माननीय अधिकरण द्वारा जारी किये गये निर्देश के सुसंगत अंश निम्नवत् हैं :-

".....12. We are of the considered view that on making of complaint regarding environmental violations by any aggrieved person, action in accordance with law must be taken by the concerned District Magistrate and also by the concerned Regional Officer of the State Pollution Control Board/U.T. Pollution Control Committee and the complaint ought to be disposed of by verifying the factual position and passing reasoned order in a time bound manner and it will be in the interest of transparency and accountability that copy of order so passed is also supplied to the applicant so that the applicant may, if aggrieved from such order, avail appropriate remedy in accordance with law.

13. In view of the above, the Chief Secretary, Government of U.P and Member Secretary, UPPCB are directed to issue appropriate instructions in this regard. Compliance report regarding issuance of such instructions may be filed before this Tribunal by them through duly authorized officers within two months. ...."

माननीय अधिकरण द्वारा पारित उक्त आदेश के अनुपालन हेतु आपको निर्देशित किया जाता है कि आपके क्षेत्रान्तर्गत विभिन्न माध्यमों से यथा आई0जी0आर0एस0, ई-मेल आदि से प्राप्त शिकायती प्रकरणों पर त्वरित कार्यवाही करते हुए शिकायत का समयबद्ध निस्तारण सुनिश्चित कराया जाए। प्राप्त शिकायतों एवं समयबद्ध निराकरण हेतु की गयी कार्यवाही के सम्बन्ध में इनवेन्ट्री तैयार की जाए तथा उक्तानुसार रिकार्ड मेन्टेन किया जाए, अन्यथा की दशा में आपके विरूद्ध की गयी किसी भी कार्यवाही के उत्तरदायी आप स्वयं होंगे।

संलग्नक:-उपरोक्तानुसार। (ई-मेल)

भवदीय,
Digitally signed by
SANJEEV KUMAR SINGH
Date: 07.07.2025
16:06:55
(संजीव कुमार सिंह)
सदस्य सचिव

AEE
m.a.p.

प्रतिलिपि:-मुख्य पर्यावरण अधिकारी/प्रभारी वृत्त- 1,2,3,4,5,6,7 को इस निर्देश के साथ कि अपने क्षेत्रान्तर्गत आच्छादित क्षेत्रीय कार्यालयों को इस सम्बन्ध में अपने स्तर से आवश्यक निर्देश जारी करते हुए समयबद्ध कार्यवाही पूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करें।

11/07/25

सदस्य सचिव

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow - 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 - 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

संलग्नक-10 Annexure-11

दूरभाष व फैक्स: (01342) 260434
ई-मेल - robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 27/N-68/जनरल-2025 दिनांक : 05-04-2025

सेवा में,

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम–जमालुद्दीनपुर, पोस्ट–नगली पथवारी,
तहसील–चाँदपुर,
जिला–बिजनौर–246727

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक संयुक्त समिति द्वारा आपकी इकाई का दिनांक–07.03.2025 को निरीक्षण किया गया था, का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों के अधार पर आपकी इकाई को निम्न सुझाव/टिप्पणीयाँ की गयी है, जो कि निम्नवत् है :-

A. To upgrade its Unit to Advanced Batch Automated Technology Process (ABAP) as per CPCB SOP dated 16.01.2024 for "Recycling of Waste scrap for the recovery of Tyre Pyrolysis Oil, Pyro Gas and Char in Tyre Pyrolysis Oil (TPO) Units" and provide below mentioned features:

i. Automatic control systems such as Programmed Logic Control (PLC) for measurement and control of temperature and pressure along with safety inter-locks in case of increase of temperature or pressure to cut off heating of the reactor.

ii. Sensors along with alarm system at all the transfer points throughout the plant to detect any leakage of flammable vapours from the system.

iii. Bypass arrangement for pyro gas from reactor door to primary condenser.

vi. Fire detectors, sprinklers and fire hydrant with necessary pumping system and water storage should be provided in the process area, product and raw material storage area,

v. Provision for suction hoods over the gate of reactor and char bagging area,

vi. Water sprinkler system, and

vii. Mechanized arrangement for removal of char and steel scrap and arrangement of Nitrogen gas (N) purging to address environmental and safety concerns.

B. To increase the height of its stack upto 30 meters as per Consolidated Consent & Authorisation.

C. To develop green belt across its periphery. The green belt may not be less than 5% of the total area of the plot in line with CPCB SOP.

D. To provide concrete flooring for storage of Raw Material & End Products as required under CPCB SOP.

E. To register under CPCB online Waste Tyre EPR Portal as per the provisions stipulated under schedule-IX of the Hazardous & Other Waste (M&TM) Amendment Rules, 2022 for Utilization & Management of Waste Tyre.

F. To remove the spillage of carbon black immediately from the agricultural land of complainant.

G. To obtain permission for Change in Land Use from concerned department.

क्रमशः......2...

(2)

अतः आपको निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्तानुसार संयुक्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव/टिप्पणी का बिन्दुवार अनुपालन सुनिश्चित करने के उपरान्त ही इकाई का संचालन किया जाये तथा उक्त की अनुपालन आख्या इस कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को एक सप्ताह के अन्दर प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामियों का स्वयं का होगा।

भवदीय

05/04/25

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)

क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः—निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1—मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त—7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

2—Meetu Puri, Sc-C, WM-III Division, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, परिवेशीय भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली।

क्षेत्रीय अधिकारी

Annexure-12

दूरभाष व फैक्स. (01342) 260434
ई–मेल :– robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालयः महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सं0 : 101/N-68/जनरल-2025 दिनांक : 29-04-2025

अनुस्मारक
महत्वपूर्ण/पंजीकृत

सेवा में,
मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम–जमालुद्दीनपुर, पोस्ट–नगली पथवारी,
तहसील–चाँदपुर,
जिला–बिजनौर–246727

विषय–मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 संख्या–03/2025 भीष्म त्यागी बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य के संबंध में।

महोदय,

उपरोक्त विषयक इस कार्यालय के पत्र संख्या–27/एन–68/जनरल–2025, दिनांक–05.04.2025 (पूर्व प्रेषित पत्र की छायाप्रति संलग्न) का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उपरोक्त संदर्भित प्रकरण के संबंध में संयुक्त समिति द्वारा किये गये निरीक्षण में पायी गयी कमियों के आधार पर आपकी इकाई के संबंध में संयुक्त समिति की आख्या में दिये गये सुझाव/टिप्पणी के अनुपालन हेतु निर्देशित किया गया था। परन्तु आप द्वारा अभी तक उक्त की अनुपालन आख्या इस कार्यालय को प्रेषित नहीं की गयी है, जो कि पर्यावरणीय अधिनियमों का उल्लघंन है।

अतः आपको पुनः निर्देशित किया जाता है कि संयुक्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव/टिप्पणी का बिन्दुवार अनुपालन सुनिश्चित करते हुये अनुपालन आख्या इस कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ को प्रेषित करना सुनिश्चित करें, अन्यथा इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय अधिनियमों के अंतर्गत कार्यवाही किये जाने की संस्तुति बोर्ड मुख्यालय कर दी जायेगी, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व इकाई एवं इकाई स्वामियों का स्वयं का होगा।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय

28/04/25

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

प्रतिलिपिः–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1–मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7), उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, लखनऊ।

2–Meetu Puri, Sc-C, WM-III Division, केन्द्रीय प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, परिवेशीय भवन, पूर्वी अर्जुन नगर, दिल्ली।

क्षेत्रीय अधिकारी

मुख्यालय : टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ

दूरभाष व फैक्स: (01342) 260434
ई-मेल :- robijnaur@uppcb.in

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड

क्षेत्रीय कार्यालय: महर्षि दयानन्द नगर, निकट सैण्टमेरी स्कूल, आदमपुर–चक्कर रोड, बिजनौर–246701

सन्दर्भ सं0 : 115/N-68/जनरल-2025 दिनांक : 29-04-2025

सेवा में,

मुख्य पर्यावरण अधिकारी (वृत्त–7),
उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड,
टी0सी0–12वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ।

विषय–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन O.A. No.-03/2025 **Bhisham Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.** में पारित आदेश दिनांक–20.03.2025 के संबंध में।

महोदय,

कृपया उपरोक्त विषयक अपने पत्र सं0–एच27136/सी–7/विविध–716/25 दिनांक–17.04.2025 के सम्बन्ध में माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा O.A. No.-03/2025 Bhisham Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त प्रकरण के सम्बन्ध में मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर को संयुक्त समिति द्वारा किये गये पूर्व निरीक्षण दिनांक–07.03.2025 में पायी गयी कमियों के दृष्टिगत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जुलाई 2024 में तैयार की गयी **"Guideline for Environment Compensation (EC) under Waste Tyre EPR Regime"** के अन्तर्गत नियमानुसार कारण बताओ नोटिस/पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने की संस्तुति सहित आख्या आपके अवलोकनार्थ एवं अग्रिम आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नक–यथोपरि।

भवदीय,

(डा0 उमेश चन्द्र शुक्ला)
क्षेत्रीय अधिकारी

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ संख्या H2789 / C-7 / विविध-716 / 25 दिनांक 6-5-25

सेवा में,

मै0 देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर,
जिला–बिजनौर।

पंजीकृत

Annexure-R04/1.

विषय–माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–03/2025 **Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors.** में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 एवं 20.03.2025 के क्रम में इकाई पर पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित किये जाने के संबंध में।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में विचाराधीन ओ0ए0 सं0–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 के क्रम में इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर का संयुक्त निरीक्षण केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, तहसीलदार, तहसील–चाँदपुर, जिला बिजनौर एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा संयुक्त रूप से दिनांक 17.03.2025 को किया गया।

यह कि उक्त संयुक्त निरीक्षण में समिति द्वारा पाया गया कि आपके उद्योग द्वारा टॉयर पेरोलिसिस हेतु Hazardous and Other Wastes (Management and Trasnboundary Movement) Amendment Rules, 2022 के अन्तर्गत केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नहीं कराया गया है आपकी इकाई में स्थापित रियेक्टर की चिमनी मात्र 21 मीटर पर पायी गयी जबकि उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु में चिमनी की ऊँचाई 30 मीटर तक किया जाना निर्देशित है।

यह कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पत्र सं0–CP-22/31/2024-WM-III-HO-CPCB-HO दिनांक 03.09.2024 द्वारा वेस्ट टायर की रिसाइक्लिंग किये जाने वाले इकाईयों के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गाइडलाइन जारी की गयी है। उक्त गाइडलाइन के अन्तर्गत EC Regime 2 जिसके अन्तर्गत ई0पी0आर0 पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन न कराये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति का आंकलन निम्नानुसार किया जाना प्राविधानित है :–

iii. For Recyclers and Retreaders the registration fee on the EPR Portal is Rs. 15000.0 and Rs. 10,000.0 respectively. So taking Rs. 12,500 as an average, the EC to Recyclers and Retreaders are as below:
For 1st Default – Rs. 12,500.0
For 2nd Default – Rs. Two times of first default i.e. Rs. 12,500.0 x 2=Rs. 25,000.0
For 3rd Default - Two times of second default i.e. Rs. 25,000 x 2=Rs. 50,000.0

B. For informal/illegalSale/Storage/Transportaion/Retreading/Recycling of Waste Tyre by any non-registered entity/person/shop/entity, EC Regime 2 will by applicable and the EC will be as below:
EC = Rs. 12,500.0 + Quantity of Waste Tyre Seized x Rs 8.40 per Kg of seized waste Tyre

यह कि क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 के साथ आप द्वारा प्रेषित सूचना के अनुसार माह सितम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 तक आपकी इकाई में औसतन दैनिक टायर की खपत 2,392 कि0ग्रा0/दिन है जिसको दृष्टिगत रखते हुए दिनांक माह सितम्बर, 2024 से अप्रैल, 2025 तक EC=12,500 + 2392 X 8.5 = Rs. 32832/per day (Rs. Thirty Two Thousand Eight Hundred Thirty Two Only) आंकलित होती है।

......कृ0पृ0उ0

टी0सी0 -12 वी, विभूति खण्ड, गोमती नगर,
लखनऊ - 226010
दूरभाष : 0522-2720828, 2720831
ई-मेल : info@uppcb.com
वेबसाइट : www.uppcb.com

T.C.-12 V, Vibhuti Khand, Gomti Nagar,
Lucknow - 226 010
Phone : 0522-2720828, 2720831
E-mail : info@uppcb.com
Website : www.uppcb.com

यह कि संयुक्त समिति की निरीक्षण आख्या दिनांक 17.03.2025 में निम्नानुसार सुझाव एवं टिप्पणी की गयी है :–

A. To upgrade its Unit to Advanced Batch Automated Technology Process (ABAP) as per CPCB SOP dated 16.01.2024 for "Recycling of Waste scrap for the recovery of Tyre Pyrolysis Oil, Pyro Gas and Char in Tyre Pyrolysis Oil (TPO) Units" and provide below mentioned features:

i. Automatic control systems such as Programmed Logic Control (PLC) for measurement and control of temperature and pressure along with safety inter-locks in case of increase of temperature or pressure to cut off heating of the reactor.

ii. Sensors along with alarm system at all the transfer points throughout the plant to detect any leakage of flammable vapours from the system.

iii. Bypass arrangement for pyro gas from reactor door to primary condenser.

vi. Fire detectors, sprinklers and fire hydrant with necessary pumping system and water storage should be provided in the process area, product and raw material storage area,

v. Provision for suction hoods over the gate of reactor and char bagging area,

vi. Water sprinkler system, and

vii. Mechanized arrangement for removal of char and steel scrap and arrangement of Nitrogen gas (N) purging to address environmental and safety concerns.

B. To increase the height of its stack upto 30 meters as per Consolidated Consent & Authorisation.

C. To develop green belt across its periphery. The green belt may not be less than 5% of the total area of the plot in line with CPCB SOP.

D. To provide concrete flooring for storage of Raw Material & End Products as required under CPCB SOP.

E. To register under CPCB online Waste Tyre EPR Portal as per the provisions stipulated under schedule-IX of the Hazardous & Other Waste (M&TM) Amendment Rules, 2022 for Utilization & Management of Waste Tyre.

F. To remove the spillage of carbon black immediately from the agricultural land of complainant.

G. To obtain permission for Change in Land Use from concerned department.

अतः उपरोक्त वर्णित तथ्यों एवं क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा की गयी संस्तुति के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी की अनुमति से आपके इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए सपठित 21(4) के अन्तर्गत बन्दी आदेश जारी किये जाने हेतु निम्नानुसार कारण बताओ नोटिस जारी किया जाता है :–

1. यह कि क्यो न इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के पक्ष में बोर्ड के पत्र सं0–188470/यूपीपीसीबी/बिजनौर (यूपीपीसीबीआरओ)/सीटीओ/बोथ/बिजनौर/2023 दिनांक 28.07.2023 द्वारा निर्गत सशर्त

Q/

सहमति जल एवं वायु को खण्डित करते हुए इकाई के विरूद्ध बन्दी आदेश जारी कर दिया जाए।

2. यह कि क्यों न सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाये की इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर को मिलने वाले जल एवं बिजली की समस्त सुविधाएं तत्काल प्रभाव से रोक दी जाए।
3. यह कि इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर द्वारा संयुक्त समिति द्वारा दिये गये सुझाव एवं टिप्पणी के दृष्टिगत ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण कराते हुए उक्त समस्त संस्तुतियों का अनुपालन सुनिश्चित कराया जाए।

उक्त के अतिरिक्त केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार समस्या के समाधान किये जाने तक रू0 32,832/(रू0 बत्तीस हाजर आठ सौ बत्तीस मात्र) प्रतिदिन की दर से क्यों न आपकी इकाई मै0 देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीनपुर, तहसील–चाँदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित कर दी जाए।

उपरोक्त के संबंध में अपना स्पष्टीकरण इस पत्र प्राप्ति के 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय में प्रेषित करें, अन्यथा की स्थिति में उपरोक्तानुसार आपकी इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी कर दिया जाएगा, जिसका सम्पूर्ण उत्तरदायित्व स्वयं इकाई एवं इकाई के स्वामी का होगा।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि:–निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. जिलाधिकारी, बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि अपने स्तर से भी कारण बताओ नोटिस की प्रति इकाई स्वामी को प्राप्त कराते हुए, पावती एवं जारी कारण बताओ नोटिस के संबंध में इकाई का अद्यतन निरीक्षण कर आख्या 15 दिन के अन्दर बोर्ड मुख्यालय प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

UPPCB-CRCLOMISC/2872/2025-CIR7-UPPCB

1/211744/2025

उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड
UTTAR PRADESH POLLUTION CONTROL BOARD

LiFE Lifestyle for Environment

संदर्भ सं०- H-30344/सी-7/विविध-716 /2025

दिनांक- 17/07/2025
पंजीकृत

सेवा में,

मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज,
ग्राम-जमालुद्दीन, तहसील-चांदपुर,
जिला-बिजनौर।
मो0-0591 2485594

विषय —माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदशों के अनुपालन में पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी किये जाने के संबंध में।

यह कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीन, तहसील-चांदपुर, जनपद-बिजनौर द्वारा कच्चे माल के रूप में वेस्ट टायर-06 मीट्रिक टन/दिल का प्रयोग कर फर्नेस ऑयल-2.5 मीट्रिक टन/दिन कार्बन ब्लैक-2.5 मीट्रिक टन/दिन, स्टील वायर-200 किलाग्राम/दिन का उत्पादन किये जाने हेतु उपरोक्त वर्णित स्थल पर कार्यरत है, जो कि वायु (प्रदूषण निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम 1981 यथासंशोधित की धारा 39 डी के अन्तर्गत एक कम्पनी है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या-03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 20.03.2025 के अनुपालन में इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीन, तहसील-चांदपुर, जनपद-बिजनौर के विरूद्ध बोर्ड के पत्रांक एच-27891/सी-7/विविध-716/25 दिनांक 06.05.2025 के माध्यम से जारी कारण बताओ नोटिस की प्रति उद्योग प्रोपराइटर श्री सचिन त्यागी को दिनांक 15.05.2025 को क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर द्वारा By Hand प्राप्त करायी गयी।

यह कि इकाई के विरूद्ध जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.05.2025 के क्रम मे इकाई द्वारा दिनांक 19.05.2025 को प्रत्यावेदन प्रेषित किया गया है। उक्त प्रत्यावेदन मे वर्णित बिन्दुओं के संबंध में टिप्पणी निम्नवत् है:-

क्र0सं0	प्रतिउत्तर का बिन्दु संख्या-01	टिप्पणी	अभियुक्ति
1.	At the very outset the Notice puts forth that the present SCN is an afterthought and an exercise undertaken without due diligence and consideration of the status of the issue at hand.	बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस दिनांक 06.05.2025 में माननीय एन0जी0टी0 द्वारा ओ0ए0 संख्या-03/2025 भीष्म त्यागी बनाम उ0प्र0 राज्य व अन्य में पारित आदेश दिनांक 24.01.2025 मे जारी निर्देशों के अनुपालन में गठित संयुक्त समिति की आख्या दिनांक 17.03.2025 में पाये गये तथ्यों को समावेशित करते हुए कारण बताओ नोटिस जारी किया गया था। उक्त संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 में पाया गया था कि उक्त इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है तथा इकाई मे स्थापित रिएक्टर की चिमनी मात्र 21 मीटर पायी गयी जबकि राज्य बोर्ड द्वारा निर्गत सहमति वायु में चिमनी की ऊंचाई भू-तल से 30 मीटर ऊंची किया जाना निर्देशित है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या-01 को खण्डित किया जाता है।
2.	In fact, for reasons best known to the UPPCB, no reference has been made to the fact that fact that M/s Dev Industries has been operating in a wholly legal and authorized manner and a Consolidated Consent to Operate and Authorization	राज्य बोर्ड द्वारा इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुदीनपुर तहसील चांदपुर, जिला-बिजनौर के पक्ष मे दिनांक 31.07.2028 तक वैध सशर्त सहमति जल एवं वायु निर्गत की गयी है। उक्त निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु में यह शर्त अधिरोपित की गयी है कि उद्योग में स्थापित वायु प्रदूषण नियंत्रण व्यवस्था हेतु स्थापित चिमनी की मानकों के अनुरूप रखी जाएगी	उक्तानुसार बिन्दु संख्या-02 को खण्डित किया जाता है।

T.C/12V, Vibhuti Khand Gomti Nagar, Lucknow – 226010
Phone: 2720831, 2720828, 2720691 & 2720681 - Fax: 0522 – 2720764
Email: info@uppcb.in - Web Site: www.uppcb.in

मैसर्स- देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुद्दीन, तहसील- चांदपुर, बिजनौर। 1/2117744/2025

UPPCB-CRCLOMISC/2872/2025-CIR7-UPPCB

	(hereinafter referred to as ' CCA) dated 25.07.2023 was duly issued by the UPPCB in accordance with Section 25 of the Water (Prevention & Control of pollution) Act, 1974 (hereinafter the **Water Act'**) as also under Section 21 of the Air (Prevention & Control of pollution) Act, 1981 (hereinafter the **Air Act'**)	तथा इकाई द्वारा दिये गये शपथ पत्र दिनांक 25.07.2023 के अनुसार बैच प्रोसेस को सतत प्रोसेस मे परिवर्तित किया जाएगा। संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 में पाया गया है कि इकाई में स्थापित व्यवस्था में एडवांस बैच आटोमेटेड प्रोसेस अपनाया नही गया है तथा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार की गयी एस0ओ0पी0 का पूर्ण अनुपालन नही किया गया है। इकाई में पी0एल0सी0 कण्ट्रोल अरेंजमेंट, पायरोगैस हेतु बाइपास अरेंजमेंट, पायरोगैस की फ्लेरिंग हेतु व्यवस्था नही पायी गयी। उक्त संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 में पाया गया कि इकाई द्वारा प्रोसेसिंग से जनित कार्बन ब्लैक को समीप की कृषि भूमि पर निस्तारित किया जा रहा है। इकाई में स्थापित रिएक्टर से सम्बद्ध चिमनी की ऊंचाई भूतल से लगभग 21 मीटर ऊंची पायी गयी जबकि बोर्ड द्वारा जारी सहमति एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार चिमनी की न्यूनतम ऊंचाई भूतल से 30 मीटर निर्देशित है। क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर द्वारा पूर्व मे निरीक्षण दिनांक 21.07.2023 में भी पाया गया था कि इकाई मे स्थापित दो फर्नेस से सम्बद्ध संयुक्त चिमनी की ऊंचाई भूतल से 21 मीटर है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा मानकों के अनुरूप चिमनी की ऊंचाई नही रखी गयी थी।	
3.	Notably, the said CCA grants authorization to the Notice from 01.08.2023 to 31.07.2028 and is valid for manufacturing of following products; Furnace Oil (2.5MT/day) Carbon Black (2.5 MT/day) Steel Wire (200 kg/day)	बिन्दु संख्या 03 के सम्बन्ध मे टिप्पणी उक्तानुसार है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–03 को खण्डित किया जाता है।
4.	It must thus be noted that the Notice herein has been operating in complete and absolute compliance with the said CCA as also the law governing the same.	संयुक्त निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 मे पाये गये तथ्यों से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा राज्य बोर्ड से निर्गत सहमति वायु मे अधिरोपित शर्तों एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 का उल्लंघन कर इकाई का संचालन किया गया।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या–04 को खण्डित किया जाता है।
5.	Additionally, the "Guidelines for Environmental Compensation (EC) under Waste Tyre EPR Regime" were notified from 03.09.2024 however the manner of calculation to the EC by the UPPCB is misplaced and erroneous. The guidelines provide for a registration fee based calculation' of compensation under EC	पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय भारत सरकार की अधिसूचना संख्या–जी0एस0आर0 593 (ई0) दिनांक 21.07.2022 द्वारा परिसंकटमय और अन्य अपशिष्ट (प्रबन्ध और सीमा पार संचलन) संशोधन, नियम–2022 अधिसूचित किये गये है जो कि प्रकाशन की तिथि से लागू है। उक्त नियम की अनुसूची 9 में अपशिष्ट टायर के लिए ई0पी0आर0 प्राविधानित किये गये है। जिसके अनुसार वेस्ट टायर के रिसायकलर द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये ऑनलाइन पोर्टल पर ई0पी0आर0 हेतु पंजीकरण कराये बिना इकाई का संचालन नही किया जाएगा। केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा टायर पायरोलिसिस प्लाण्ट के संचालन हेतु 16.01.2024 द्वारा स्टैण्डर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर तैयार किया गया है। इसी क्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा भारत सरकार की उक्त अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 के प्राविधानों का	उक्त को

	Regime- 2 and qua the same the registration fee has been computed as an average of Rs. 12500/- for ' Recyclers and Retreaders.	उल्लंघन किये जाने के दृष्टिगत पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति हेतु गाइडलाइन तैयार की गयी है। जिसे केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर नोटिस के रूप में प्रदर्शित किया गया है। प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुदीनपुर तहसील–चांदपुर जिला–बिजनौर द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 के अनुसार कार्यवाही नही की गयी एवं भारत सरकार द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के अनुक्रम में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा तैयार किये गये ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही किया गया है। उक्त तथ्य को दृष्टिगत रखते हुए केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की गाइडलाइन दिनांक 03.09.2024 के अनुसार ई0सी0 रिजीम–2 (बी0) के अनुसार इकाई पर पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपण हेतु कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। B. For informal/illegal Sale /Storag/Transportation /Retreading/Recycling of Waste Tyre by any non-registered entity/person/shop/entity, EC Regine2 will be applicable and the EC will be as below: EC= Rs. 12,000.0+Quantity of Waste Tyre Seized x RS. 8.40 per Kg of seized Waste Tyre.	दृष्टिगत रखते हुए एवं यह संज्ञान मे लेते हुए कि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है जिस कारण पर्यावरणी क्षतिपूर्ति हेतु ईसी रिजीम 2 बी के अनुसार गणना की गयी है।
6.	Additionally, vide Clause 6.2 (B) of the guidelines, the ' quantity of waste tyre seized ' assumed crucial importance for devoid of the same no pro-rata calculation of EC can be made under Regime-2	क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 द्वारा प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुदीनपुर तहसील–चांदपुर जिला–बिजनौर, द्वारा माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2025 तक माहवार खपत किये गये वेस्ट टायर की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अनुसार माह फरवरी 2025 को छोड़कर अन्य समस्त माह मे इकाई द्वारा वेस्ट टायर की खपत की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि इकाई द्वारा ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है अतः इकाई द्वारा उपभोग किये गये वेस्ट टायर को **Quantity of Waste Tyre Seized** की श्रेणी में रखते हुए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
7.	However in the matter at hand, and as the Joint Committee Report dated 17.03.2025 makes evident, the Tyre Pyrolysis plant (TPO) as operated by M/s Dev Industries has been non-operational and thus there is no basis for calculation of EC at Rs. 32,832 per day from September 2024 to April 2025	संयुक्त समिति के निरीक्षण दिनांक 17.03.2025 के दौरान इकाई संचालित नही पायी गयी परन्तु इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 का अनुपालन नही किया गया, इकाई द्वारा राख का निस्तारण समीप के खेतों मे किया जाता पाया गया, एवं केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा प्लाण्ट का संचालन नियम के विरूद्ध किया गया है तथा उक्त उल्लंघन को दृष्टिगत रखते हुए बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम में की गयी गणना के अनुसार ही पर्यावरणी क्षतिपूर्ति अधिरोपित किया जाना प्रस्तावित है। इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन को संज्ञान में रखते हुए पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना माह सितम्बर 2024 से माह जनवरी 2025 तक किये जाने पर विचार किया जा सकता है।	
8.	Moreover, the above- outlined guidelines as also the EC Regime- 2 nowhere grant the power to apportion the EC in an onerous and unreasonable manner	केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा पर्यावरणी क्षतिपूर्ति हेतु जारी उक्त गाइडलाइन 03.09.2024 के द्वारा पंजीकरण किये बिना संचालित रिसायकलर एवं एस0ओ0पी0 का उल्लंघन कर संचालित रिसायकलर	

	as her been done herein by the UPPCB. The EC Regime-2 is clear in its mandates that if at all there is an EPR violation the same shall be calculated as a sum of the (1) Registration fee default, (2) Quantity of seized tyre, and (3) Multiplier of Rs 8.40 per kg of such seizure.	पर ई0सी0 रिजीम-2 के आधार पर कार्यवाही किया जाना निर्देशित है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए प्रश्नगत इकाई के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
9.	As has already been outlined above, there is no seizure of any illegal tyre made by the UPPCB and its calculation rests on an assumptive basis entirely.	क्षेत्रीय अधिकारी बिजनौर के पत्र दिनांक 01.05.2025 द्वारा प्रश्नगत इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम-जमालुदीनपुर तहसील-चांदपुर जिला-बिजनौर, द्वारा माह जनवरी 2024 से माह अप्रैल 2025 तक माहवार खपत किये गये वेस्ट टायर की सूचना प्रेषित की गयी है। उक्त सूचना के अनुसार माह फरवरी 2025 को छोड़कर अन्य समस्त माह मे इकाई द्वारा वेस्ट टायर की खपत की गयी है। उक्त को दृष्टिगत रखते हुए एवं इस तथ्य को संज्ञान में लेते हुए कि इकाई द्वारा ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण नही कराया गया है अतः इकाई द्वारा उपभोग किये गये वेस्ट टायर को Quantity of Waste Tyre Seized की श्रेणी में रखते हुए पर्यावरणी क्षतिपूर्ति की गणना की गयी है।	
10.	Having regards to the response as above outlined, the answering Noticee puts forth that being the operator of the recycling paint, in compliance of the joint committee report was in the process of outlining its responses/ replies to the remediel actions of outlined vide said report and due to the calamitous events of the intervening night of 18/19.04.2025, the entire recycling plant was devastated and substantially extensive damage was caused. Manifestly thus, no manufacturing/ industrial activity has been undertaken. That the answering Noticee had earlier followed the guidelines issued by the UPPCB for the installation of the ETP (effluent treatment plant) and the same was installed at the earliest and information for the same was given to the department . Furthermore, the chimney stack installed at the TPO is having height of 30 mtrs and the same has been erroneously mentioned in the joint committee report as 21 mtrs because the incorrect records maintained by the UPPCB. The Noticee herein has never neglected to adhere to the guidelines issued qua its operation. That, the SOP issued in September, 2024 was not in the	इकाई द्वारा पत्र प्रेषित किये गये है कि दिनांक 18/19.04.2025 मे आये तूफान के कारण रिसाइकिलिंग प्लाण्ट टूट गया जिसको प्रतिनिधि द्वारा रिनोवेट कराया गया है इकाई द्वारा नई चिमनी का निर्माण भी उक्त अवधि मे किया गया। क्षेत्रीय कार्यालय बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 05.05.2025 में किये गये निरीक्षण रिपोर्ट मे वर्णित है कि उक्त निरीक्षण के दौरान इकाई मे पूर्व से स्थापित चिमनी के स्थान पर नई चिमनी की स्थापना कर ली गयी है। अतः उक्त को दृष्टिगत रखते हुए इकाई द्वारा प्रेषित प्रत्यावेदन में उल्लिखित तथ्य की संयुक्त रिपोर्ट मे चिमनी की ऊंचाई 21 मीटर प्रदर्शित किया जाना गलत है पर विचार नही किया जा सकता। इकाई द्वारा प्रेषित यह तथ्य कि केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी एस0ओ0पी0 (सिप्तम्बर 2024) के सम्बन्ध मे इकाई को पता नही था पर भी विचार किया जाना सम्भव नही है क्योंकि इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड की अध्यक्षता मे गठित संयुक्त समिति की रिपोर्ट दिनांक 17.03.2025 प्राप्त होने के उपरांत भी अद्यतन तक केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के ई0पी0आर0 पोर्टल पर पंजीकरण हेतु आवेदन किये जाने के सम्बन्ध में सूचित नही किया गया है। उक्त से स्पष्ट है कि इकाई द्वारा जानबूझकर भारत सरकार द्वारा जारी प्राविधानों का उल्लंघन किया जा रहा है।	उक्तानुसार बिन्दु संख्या-10 को खण्डित किया जाता है।

	knowledge of the answering respondent and therefore necessary changes could not be made according the new SOP. The answering respondent came to know about the new SOP only after reading the joint committee report submitted in the NGT, Delhi Therefore keeping in consideration the above- outlined submissions of the Noticee herein , the matter at hand is sub-judice and the Noticee has fully complied with all the directions as issued to it by the Hon'ble National Green Tribunal. In fact, a time period Of 6-8 weeks has been granted to it to file its compliance affidavit and therefore no adverse and coercive action ought to be taken against it devoid of directions from the Hon'ble NGT.		

यह कि इकाई मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर का अद्यतन निरीक्षण क्षेत्रीय कार्यालय उत्तर प्रदेश प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के प्राधिकृत अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.05.2025 को किया गया। उक्त निरीक्षण आख्यानुसार निरीक्षण के समय इकाई बन्द पायी गयी।

यह कि इकाई के विरूद्ध बोर्ड द्वारा जारी कारण बताओ नोटिस के क्रम मे प्रेषित प्रत्युत्तर संतोषजनक नही पाया गया। इकाई द्वारा केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा जारी की गयी SOP के अनुसार कार्यवाही पूर्ण नहीं की गयी है एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी अधिसूचना दिनांक 21.07.2022 के प्राविधानों के अनुपालन में केन्द्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के पोर्टल पर ई0पी0आर0 हेतु पंजीकरण नहीं कराया गया है।

यह कि माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण द्वारा ओ0ए0 संख्या–03/2025 Bhishm Tyagi Vs. State Of UP and Ors. में पारित आदेश दिनांक 09.05.2025 में निम्न निर्देश जारी किये गये है:–

".......19. The District Magistrate, Bijnor and the Superintendent of Police, Bijnor are directed to ensure that the Respondent No. 5 does not illegally operate the plant in question......"

अतः उपरोक्त तथ्यों के दृष्टिगत सक्षम अधिकारी के अनुमोदनोपरान्त वायु प्रदूषण (निवारण तथा नियंत्रण) अधिनियम, 1981 की धारा–31ए सपठित 21(4) के अन्तर्गत उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के विरूद्ध निम्नानुसार बन्दी आदेश जारी किये जाते हैं:–

1. यह कि उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के पक्ष में क्षेत्रीय कार्यालय के आनलाइन संदर्भ संख्या–188470/UPPCB/Bijnore(UPPCBRO)/CTO/both/ Bijnore/2023 दिनांक 25.07.2023 द्वारा निर्गत सशर्त सहमति जल एवं वायु को खण्डित किया जाता है।

2. यह कि मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन को तत्काल प्रभाव से बन्द किया जाता है।
3. यह कि सक्षम अधिकारियों से यह अपेक्षा की जाती है कि उद्योग मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर के संचालन से सम्बद्ध समस्त विद्युत कनेक्शनों एवं जलापूर्ति कनेक्शन को तत्काल प्रभाव से रोक दिया जाए।

उक्त के अतिरिक्त संयुक्त समिति द्वारा पूर्व में किये गये निरीक्षण दिनांक 07.03.2025 एवं क्षेत्रीय कार्यालय, उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर के अधिकारियों द्वारा दिनांक 30.05.2025 को किये गये निरीक्षण मे पायी गयी कमियों के दृष्टिगत इकाई के विरूद्ध रू–32,832/– प्रतिदिन की दर से माह सितम्बर 2024 से माह जनवरी 2025 तक रू0–50,23,296/– की पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित अधिरोपित की जाती है।

उद्योग द्वारा पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि रू– 50,23,296/- (Fifty Lakh Twenty Three Thousand Tow Hundred Ninty Six only) को 15 दिन के अन्दर जमा कर, जमा की गयी धनराशि का साक्ष्य क्षेत्रीय कार्यालय एवं बोर्ड मुख्यालय मे प्रस्तुत करना सुनिश्चित किया जाए।

उद्योग के विरूद्ध अधिरोपित पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति की धनराशि 50,23,296/- (Fifty Lakh Twenty Three Thousand Tow Hundred Ninty Six only) का भुगतान Payment Gateway (URL: http://erp.eshiksa.net/DirectFeesv3/UPPCB) के माध्यम से Dedicated Account में 15 कार्यदिवस के अन्दर जमा करना सुनिश्चित करें। Payment Gateway के Homepage के dropdown में निम्नवत् विशिष्ट सूचना का चयन करें:–

1–Nature of Pollution /प्रदूषण की प्रकृति–	Air Pollution
2–Regional Offices /क्षेत्रीय कार्यालय–	Bijnore
3–EC imposed in compliance /अनुपालन में ईसी लगाया गया–	UPPCB

Digitally signed by
RAM GOPAL
Date: 17-07-2025
18:40:54

मुख्य पर्यावरण अधिकारी, वृत्त–7

प्रतिलिपि:–
1. जिलाधिकारी बिजनौर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
2. वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक बिजनौर को सूचनार्थ सादर प्रेषित।
3. क्षेत्रीय अधिकारी उ0प्र0 प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड, बिजनौर को इस निर्देश के साथ कि उक्त बन्दी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित कराये।

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में योजित OA no. - 03/2025, Bhishm Tyagi v/s state of UP & Ors. में पारित आदेशों के अनुपालन में उ० प्र० प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक H.30344/C-7/विविध-716/2025 दिनांक 17.07.2025 के द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम - जमालुद्दीन, तहसील - चाँदपुर, जिला - बिजनौर के विरुद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति आरोपित करते हुए बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन में जिलाधिकारी महोदया, बिजनौर के पत्र सं० 501/N-68/जनरल-2025 दिनांक 18.07.2025 के द्वारा गठित समिति के द्वारा आज दिनांक 22.07.2025 को उक्त उद्योग का निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के समय उद्योग का संचालन बन्द पाया गया।

उक्त बन्दी आदेश के अनुपालन के क्रम में उद्योग में स्थापित मशीनों (रोटरी रियक्टर 1 व रोटरी रियक्टर 2) एवं डी० जी० सेट को गठित समिति द्वारा सील कर दिया गया है। बन्दी सुनिश्चित रखने हेतु सुपुर्दगी सम्बन्धित थाना : नूरपुर, जनपद बिजनौर को सौंप दी गयी है।

(हस्ताक्षर) 22/07/25
आशीष शर्मा
J.E.
UPPCB
बिजनौर

(हस्ताक्षर) 22-7-25
प्रमोद कुमार
(SI)
थाना : नूरपुर
बिजनौर

(हस्ताक्षर) 22-7-25
आलोक कटियार
(तहसीलदार)
चाँदपुर, बिजनौर

(हस्ताक्षर) 22/07/25
सुभाष चन्द
JRF
UPPCB
बिजनौर

(हस्ताक्षर)
CO(CPA)
देश दीपक सिंह
(C.O.)
चाँदपुर बिजनौर

(हस्ताक्षर)
दिनेश सिंह
(लेखपाल)
चाँदपुर बिजनौर

–:कार्यालय आदेश:–

माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में OA No.-03/2025, Bhishm Tyagi Versus State of Uttar Pradesh & Ors. में पारित आदेशों के अनुपालन में उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, मुख्यालय, लखनऊ के पत्रांक–एच30344/सी–7/विविध–716/ 2025, दिनांक–17.07.2025 का संदर्भ ग्रहण करें। उक्त पत्र के द्वारा मैसर्स देव इण्डस्ट्रीज, ग्राम–जमालुद्दीन, तहसील–चांदपुर, जिला–बिजनौर के विरूद्ध पर्यावरणीय क्षतिपूर्ति अधिरोपित करते हुये बन्दी आदेश जारी किया गया है। उक्त बंदी आदेश के अनुपालन की कार्यवाही माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दाखिल की जानी है।

अतः माननीय राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा जारी आदेशों एवं बोर्ड मुख्यालय, लखनऊ द्वारा जारी बंदी आदेश का अनुपालन सुनिश्चित किये जाने हेतु जनपद स्तर पर निम्न अधिकारियों की टीम गठित की जाती है :–

1. उप जिलाधिकारी, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), चांदपुर, जनपद–बिजनौर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

उक्त गठित समिति को निर्देशित किया जाता है कि उपरोक्त का अनुपालन सुनिश्चित कराते हुये अगली नियत सुनवाई के दृष्टिगत अनुपालन आख्या अधोहस्ताक्षरी को अविलम्ब प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें, जिससे कि अनुपालन आख्या मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में ससमय प्रेषित की जा सकें।

(जसजीत कौर)
जिलाधिकारी
बिजनौर

कार्यालय जिलाधिकारी, बिजनौर

पत्रांक– 501/N-68/जनरल-2025 दिनांक– 18-07-2025

प्रतिलिपि–निम्नलिखित को अनुपालनार्थ प्रेषित।
1. उप जिलाधिकारी, तहसील–चांदपुर, जनपद–बिजनौर।
2. क्षेत्रीय अधिकारी (पुलिस), चांदपुर, जनपद–बिजनौर।
3. क्षेत्रीय अधिकारी, उ0प्र0 प्रदूषण नियन्त्रण बोर्ड, बिजनौर।

जिलाधिकारी
बिजनौर